हिमाचल प्रदेश लबाणा कल्याण बोर्ड की तेरहवीं बैठक जो दिनांक 11 फरवरी, 2016 को सांय 3:00 बजे, सम्मेलन कक्ष हि0 प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची **अनुबन्ध ''क ''** पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) हि0 प्र0 ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एवं अध्यक्ष लबाणा कल्याण बोर्ड, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गो, जिनमें लबाणा समुदाय भी सम्मलित है, के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इन योजनाओं तथा सुविधाओं की जानकारी अपने समुदाय तक पहुंचाऐं। उन्होनें बोर्ड के सभी गैर–सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बैठक के माध्यम से लबाणा समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिय अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के कुशल नेतृत्व व मार्ग–दर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इसके पश्चात माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी मन्त्रीगण, समस्त सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों का इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार द्वारा लबाणा समुदाय की समस्याओं एवं उनके लिये चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु लबाणा कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गो को चिन्हित करने के लिये हि0 प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अभी तक लबाणा जाति सहित 51 जातियों को शामिल किया गया है। उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा आशा व्यक्त की कि लबाणा समुदाय को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का पूर्ण लाभ वर्ग विशेष के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेगा। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों तथा नीतियों की जानकारी अपने समुदाय के सदस्यों तक पहुंचाने तथा उनके विकास एवं उत्थान के लिये बैठक में सकारात्मक सुझाव देने का अनुरोध भी किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश का सन्तुलित एवं समग्र विकास तभी सम्भव हो सकता है , जब प्रदेश में सभी समुदायों तथा क्षेत्रों का सम्पूर्ण और सन्तुलित विकास हो। सरकार का प्रयास है कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के बेहतर और समान अवसर मिल सकें। सभी समुदायों एवं वर्गों के कल्याण और विकास की भावना सदैव सरकार का मुख्य लक्ष्य

रहा है। उन्होंने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल सभी के जीवन में नई उमंगों व नई तरंगों का संचार करें और सभी नित नई ऊँचाईयाँ छुए यही मेरी कामना है।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा हुईः—

08 जनवरी, 2015 को हुई बारहवीं बैठक की अनुवर्ती मदें

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें

1. गांव ट्रोह तहसील सदर जिला मण्डी में रत्ती — लुहारडी सड़क के किनारे वर्षा—शालिका बनाई जाए ।

(श्री दिनेश कुमार, सदर जिला मण्डी)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव ट्रोह तहसील सदर, नेरचौक के गांव लुहारड़ी सड़क के किनारे वर्षा शालिका के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, जिसके स्वीकृत होने और धन व जमीन का प्रावधान होने पर निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार वर्षा शालिका के निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत कर लिया गया है तथा वर्षा—शालिका के निर्माण हेतु अधिशाषी अभियन्ता मण्डी मण्डल न0 2 द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4. टाण्डा में राम लोक की दुकान के पास ग्राम पंचायत सोयरा में वर्षा—शालिका बनाई जाए।

(श्री सिंहनू राम, बाल्ट, जिला मण्डी)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि टाण्डा में राम लोक की दुकान के पास वर्षा—शालिका के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है, जिसके स्वीकृत होने और धन व जमीन का प्रावधान होने पर निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार टांडा में राम लोक की दुकान के पास वर्षा शालिका के निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत कर लिया गया है तथा वर्षा शालिका के निर्माण हेतु अधिशाषी अभियन्ता मण्डी मण्डल न0 2 द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

8. निचला टाण्डा समोह लबाणा बस्ती को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क महेन्द्र के घर से निचला टाण्डा बाबा बालक नाथ मन्दिर तक को चौड़ा व ट्रक, ट्रैक्टर, बस योग्य बनाने हेतु हि0प्र0लो0नि0विभाग द्वारा प्राकलन तैयार करवा कर इसे लबाणा समुदाय के हित मे तुरन्त बनवाया जाए। क्योंकि हम लोग आज भी सड़क सुविधा से महरूम हैं।

(श्री अनिल कुमार, जिला बिलासपुर)

गत बैठक में विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पर्याप्त धनराशि का बजट में प्रावधान व भूमि मालिकों से निशुल्क भूमि विभाग के नाम हस्तांतरित होने उपरान्त सड़क का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार निचला टाण्डा समोह लबाणा बस्ती को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़क जो कि समोह निहाण वाया रैली के कि0मी0 0/900 से निकलती है की कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 है तथा उक्त सड़क विभाग के बजट में प्रस्तावित नहीं है। विकास खण्ड झण्डुता द्वारा जीप योग्य कच्ची सड़क बनाई गई है। सड़क को 5/7 मीटर चौड़ा करने तथा पक्का करने हेतु मु0 27.64 लाख रूपये का प्राक्कलन बनाया गया है यदि बजट का प्रावधान हो जाता है व भूमि मालिक निशुल्क जमीन विभाग के नाम कर देते है तो कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

<u>सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग/ उपायुक्त कांगड़ा से सम्बन्धित मदें</u>

9. <u>विलांवाली गांव में शिव मन्दिर के पास पानी की टंकी लगाने बारे।</u>

विलांवाली लबाणा गांव में जो बद्दी जिला सोलन में पड़ता है, यहां शिव मन्दिर के पास पानी <u>की टंकी बनवाई जावे यहां से 50 परिवार पानी भरते हैं।</u>

<u>(श्री मदन लाल , बद्दी जिला सोलन)</u>

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पहले डिस्ट्रीब्युशन लाईन डाल कर सही प्रकार से पानी का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा यदि फिर भी समस्या रही तो टैंक बनाने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार गांव विलांवाली लबाणा समुदाय को पेयजल योजना विलांवाली लबाणा से पानी दिया जा रहा है। इस गांव के लिए भण्डारण टैंक चार लाख क्षमता का बनाया गया है , जिसके द्वारा सारे गांव को पेयजल 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गांव विलांवाली लबाणा में शिव मन्दिर के पास टैंक बनाने के लिये कोई जगह उपलब्ध नहीं है और न ही टैंक बनाने की आवश्यकता है तथा जो जी0आई0पाईप लाईन विभिन्न व्यास की खराब हो चुकी हैं तथा इस खराब पाईप लाईन को बदलने के लिये 25 एम0एम0, 50 एम0एम0 व्यास की लगभग 600 मीटर जी0आई0 पाईप की आवश्यकता है जिसकी लागत लगभग 1.30 लाख रूपये बनती है जिसका बजट प्रावधान होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

12. भारल खड्ड से गांव मथोग (पिपली) ग्राम पंचायत ट्रोह ब्लाक बल्ह को सिंचाई हेतु पानी <u>उठाया जाए ताकि पिपली–मथोग और लोअर ट्रोह को सिंचाई की व्यवस्था हो सके।</u>

<u>(श्री दिनेश कुमार, सदर जिला मण्डी)</u>

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव मथोग (पिपली) और लोअर ट्रोह के लिए उठाऊ सिंचाई योजना बनाने के लिए भरल खड्ड में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है तथा भू–जल की भी कोई सम्भावना नहीं है। अतः सिंचाई योजना नहीं बनाई जा सकती। इस पर गैर–सरकारी सदस्य ने कहा कि पानी काफी मात्रा में उपलब्ध है तथा सिंचाई हेतु पानी की स्कीम बनाना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ने कहा कि मामले में एक बार पुनः परीक्षण करवा लेते हैं। मद पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मामले में एक बार पुनः सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिए गए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार गांव मथोग (पिपली) ग्राम पंचायत ट्रोह का रकबा 40.39 हैक्टेयर है और इसका पुनः निरीक्षण करके पाया गया है कि इसे भारल खड्ड से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। यह खड्ड गर्मियों में सूख जाती है। अतः सिंचाई योजना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि आजकल भी इसका पानी का स्तर बहुत कम है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

17. समूरकंला दोयम में (भीड माजला) में सिचांई के लिए जो बाकी जमीन रहती है। उसको नया टयूबवैल लगा कर कवर किया जाए।

(श्री सुरेश कौशल, जिला ऊना)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लबाणा आबादी डंगेड़ा की जमीन नलकूप न0 32 के समीप पड़ती है, इस नलकूप का निर्माण वर्ष 1982–83 में किया गया था। इसकी गहराई 95 मीटर व डिस्चार्ज 16.10 LPS था। इस नलकूप से 24.00 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रावधान था, परन्तु समय बीतने के साथ–साथ अब इसका डिस्चार्ज कम होकर 6.00 LPS रह गया है। इस कार्य को माननीय विधायक द्वारा नलकूप के सुधारीकरण हेतु 2014–15 की प्राथमिकता में सम्मिलित कर लिया गया है। डी0पी0आर0 बनाई जा रही है तथा स्वीकृति उपरान्त नलकूप के सुधारीकरण का कार्य कर भीड़ माजला की भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार इस कार्य को विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में सम्मिलित किया गया है जिसकी डी0पी0आर0 266.43 लाख रूपये की तैयार करके सरकार को भेज दी गई है तथा स्वीकृति उपरान्त योजना का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

18. ढोंड-खड्ड से मौढिया की जमीन तक 03 कि0 मी0 की लम्बाई की कुहल के निर्माण के लिए अनुदान दिया जाए। इस कुहल के बनने से 7 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

(श्री जसवंत सिंह, पालमपुर, जिला कांगड़ा)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि यह कुहल गांव वालों की अपनी निजी कुहल है जिस पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस कार्य को करने के लिए ग्रांट हेतु ब्लाक अथवा उपायुक्त कांगड़ा से अनुरोध करना उचित रहेगा। मद पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त कांगड़ा को उक्त कार्य हेतु उचित धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त कांगड़ा द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि इस कार्य के लिए 30.00 लाख रूपये स्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 80 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। मननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी अब मद को समाप्त करने बारे लिख कर दे दिया गया है।

अतः उपायुक्त कांगड़ा के उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

19. सिंचाई के लिए पानी हेतु बोर –वैल स्वीकृत करने बारे ।

सिंचाई के लिए पानी हेतु चमेल सिंह व अन्य के लिए बोर–वैल स्वीकृत किया जाए जिससे निम्न किसान लाभान्वित होंगें। चमेल सिंह, कृष्ण चन्द, युवराज, राजेन्द्र सिंह, तपेन्द्र सिंह, नरेश कुमार, यशोदा देवी, हुक्कम सिंह, जसपाल आदि लगभग 80–90 बीघे जमीन की सिंचाई होगी।

(श्री चमेल सिंह, पांवटा–साहिब, जिला–सिरमौर)

गत बैठक में मद पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि पहले मालूम करें कि टयूब–वैल में पानी है भी या नहीं। मामले में एक बार पुनः निरिक्षण करवा लें तथा यदि पानी नहीं है तो नया टयूब–वैल लगाया जाए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार वर्तमान में श्री चमेल सिंह व अन्य को सिंचाई के लिये हरिजन बस्ती कोलर से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा अलग से बोर वैल लगाने की आवश्यकता नही है। जहां तक नलकूप झांकी का प्रश्न है इस बारे यह सत्य है कि 1985–86 में नलकूप झांकी का निर्माण सिंचाई सुविधा हेतु किया गया था तथा मई, 2010 में इस योजना का डिसचार्ज कम हो गया था जिसके कारण इस योजना को पेयजल योजना में बदल दिया गया था तथा इसके अन्तर्गत जिस भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी इस भूमि को अब सिंचाई योजना हरिजन बस्ति कोलर से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक डी0पी0आर0 विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत बना दी गई है जिसकी विभागीय तकनीकी जांच की जा रही है तथा स्वीकृति/धन का उचित प्रावधान होने उपरान्त नलकूप झांकी का सुधारीकरण व बदलाव का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

20. सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य विभाग, मण्डल बग्गी के अधीक्षण अभियन्ता को लबाणा समुदाय टाण्डा में से लाईन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की जाए क्योंकि यहां पर पुरानी लाईन जगह–जगह पर बुरी तरह से टूट चुकी है।

(श्री शेर सिंह नायक, बाल्ट, जिला–मण्डी)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त लाईन लगभग 400 मीटर बदलनी पड़ेगी परन्तु इस समय खेत खाली नहीं है, अतः इस कार्य को जून, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। मद पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि इस कार्य को अप्रैल, 2015 तक पूरा करके उन्हें सूचित किया जाए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार गांव बंगोट में स्थित मुख्य भण्डारण टैंक से वितरण भण्डारण टैंक के बीच 900 मीटर पाईप लाईन बदल दी गई है और गांव टाण्डा में 436 मीटर लाईन बदली जानी प्रस्तावित है, उसके टैन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं। खेत खाली होने पर इसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें

23. लबाणा बस्ती भलवाणी में सामुदायिक भवन के अपवर्धन हेतु पांच लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाने बारे।

ग्राम पंचायत गलमा, जिला–मण्डी हि0 प्र0 में लबाणा बस्ती भलवाणी में सामुदायिक भवन के अपवर्धन हेतु पांच लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि इस भवन को लबाणा समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकें।

(श्री गोविन्द राम नाईक, सदर, मण्डी)

गत बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत सामुदायिक भवन हेतु राशि प्रदान की जाती है। विभाग के पास अभी लबाणा बस्ती भलवाणी में सामुदायिक भवन से सम्बन्धित प्रस्तावना प्राप्त नहीं हुई है। मद पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि उक्त सामुदायिक भवन के अपवर्धन हेतु धनराशि उपायुक्त मण्डी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकती है तथा इस संदर्भ में उपायुक्त मण्डी से बात भी हो गई है। अतः चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपायुक्त मण्डी इस कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध करवाऐंगे।

बैठक में मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त उपायुक्त मण्डी ने बैठक में सूचित किया कि इस संदर्भ में रिपोर्ट मंगवाई गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त ही मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः उपायुक्त मण्डी के उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

25. ग्राम पंचायत ट्रोह का पंचायत घर बहुत पुराना हो चुका है और इसमें कमरे भी तीन है। एक कमरे में पशु औषधालय चल रहा है अतः नया पंचायत घर बनवाया जाए। पंचायत घर के आंगन में आवारा पशु आते रहते हैं, अतः चार दीवारी लगवाई जाए।

(श्री दिनेश कुमार, सदर जिला मण्डी)

गत बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत ट्रोह के पंचायत घर हेतु वर्ष 2009–2010 में मुरम्मत हेतु मु0 1.00 लाख रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है तथा जुलाई, 2013 में मु0 1.60 लाख रूपये की राशि अतिरिक्त रूप से जारी की गई है। यदि और राशि की आवश्यकता होगी तो विचार किया जा सकता है। मद पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए कि ग्राम पंचायत ट्रोह के लिए नया भवन स्वीकृत किया जाए।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) द्वारा सूचित किया गया कि उन्होंने जिलाधीश मण्डी से बात कर ली है। 2.60 लाख रूपये की राशि उपलब्ध है तथा चार–दिवारी हेतु यदि और राशि की अवश्यकता होगी तो वह भी उपलब्ध करवा दी जाएगी व कार्य कर दिया जाएगा। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त मननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए कि इस कार्य को कर दिया जाए तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

27. <u>ग्राम पंचायत ट्रोह में सिलाई सैंटर खोला जाए।</u>

<u>(श्री दिनेश कुमार, सदर जिला मण्डी)</u>

गत बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि सरकार द्वारा 21.02.2011 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से नए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोले जाऐंगे। इसलिए ग्राम पंचायत ट्रोह में सिलाई केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है। मद पर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए कि यदि सिलाई सीखने के लिए आवेदन पत्र आ रहे हैं तथा सिलाई केन्द्र खोलने की मांग है तो ऐसे केन्द्र खोले जाने चाहिए तथा उक्त लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार किया जाए।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) द्वारा पुनः सूचित किया गया कि वर्ष 2011 में सरकार द्वारा कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि नए सिलाई केन्द्र नहीं खोले जाऐंगे। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त मननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए कि इस मामले को पुनः कैबिनेट में विचारार्थ रखा जाऐ। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

28. डागु राम , सूरत सिंह, राम प्यारी, हेम सिंह इत्यादि के घरों से होते हुए सड़क बनाई जाए व सरवण कुमार के घर के समीप डंगा लगाया जाए, जिससे नाला बन्द हो जाएगा तथा गांव दो भागों में बंटने से बच जाएगा क्योंकि बार्ड न0 6 में OBC बस्ती चौकी S.C. बस्ती में बना नाला गांव को दो भागों में बांट सकता है तथा डागू राम के घर और सरवण कुमार, तेज <u>सिंह, देवी राम आदि के मकानों को बहुत ही खतरा है।</u>

<u>(श्री चमन नायक, टाण्डा त0 सदर जिला मण्डी)</u>

गत बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि इस बारे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, बल्ह, जिला मण्डी को मामले में आगामी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं तथा विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। 4.79 लाख रूपये का प्राक्कलन बना दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में उपायुक्त मण्डी से बात हो गई है।

मद पर चर्चा के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) द्वारा सूचित किया गया कि उनके विभाग के पास इस प्रकार के कार्य के लिए कोई स्पैस्फिक बजट प्रावधान नहीं है। जैसे कि गत बैठक में चर्चा हुई थी, 4.79 लाख रूपये का प्राक्कलन बना दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में उपायुक्त मण्डी से बात हो गई है। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि व्यक्ति विशेष के घरों तथा खेतों में डंगे नहीं लगाए जा सकते। सम्पूर्ण समुदाय के हितो को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियो तथा उपायुक्त मण्डी को सम्बन्धित स्थान के निरीक्षण करके आगामी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

29. लबाणा सामुदायिक भवन निर्माण (भव्य सामुदायिक भवन) के लिए अनुदान लगभग दस लाख रूपये स्वीकृत किया जाए-- लबाणा समुदाय की आबादी लगभग पन्द्रह सौ के करीब है।

(श्री जसवंत सिंह, पालमपुर, जिला कांगडा)

गत बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि इस वर्ष बजट का प्रावधान नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) द्वारा सूचित किया गया कि उनके विभाग के पास इस प्रकार के कार्य के लिए कोई स्पैस्फिक बजट प्रावधान नहीं है। इस कार्य के लिए उपायुक्त के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया कि मामले की Feasibility रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, भूमि की उपलब्धता अनुसार आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त कांगड़ा को निर्देश दिए गए कि मांगी गई राशि का 50 प्रतिशत (पांच लाख रूपये) दे दिया जाए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

33. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोलर में खेल के मैदान के निर्माण बारे।

ग्राम पंचायत कोलर में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोलर के पास खेलने का मैदान नहीं है। जो मैदान है, वह भूमि जंगलात के नाम माल कागजा़त में दर्ज है। उस भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करवाया जाए ताकि खेल मैदान को योजनाबद्ध तरीके से बनवाया जा सके।

(श्री गोविन्द राम नाईक, सदर, मण्डी)

गत बैठक में सूचित किया गया है कि वन विभाग की भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करवाने हेतु मामला वन मण्डल अधिकारी, नाहन से उठाया गया है तथा मामला अभी प्रक्रिया में है। मद पर चर्चा के दौरान गैर सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि सुकरो नदी की तरफ से यदि डंगा लग जाए तो बच्चों को खेलने की सुविधा मिल सकती है। चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्य को सूचित किया गया कि मामले पर विचार किया जाएगा तथा शिक्षा विभाग को मामले में परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार इस संदर्भ में निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा उप–शिक्षा निदेशक, सिरमौर को उनके पत्र सं0–शिक्षा –एचई (9)3–22/2009 (SC/OBC-Hostel) दिनांक 19–06–2015 द्वारा पुनः निर्देश दे दिए गए हैं। अतः सूचना प्राप्त होने पर सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाएगी। मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि वन विभाग की भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करके स्कूल का मैदान बना दिया जाएगा। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वन विभाग को भी निर्देश दिए गए कि भूमि का उपयोग स्कूल के खेल के मैदान के लिए होना है अतः वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करके भूमि शिक्षा विभाग के नाम कर दें ताकि स्कूल का मैदान बनाया जा सके। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

36. ग्राम पंचायत कोलर में डिग्री कॉलेज स्वीकृत किया जाए, इससे 8 ग्राम पंचायतों की 25000 की जनसंख्या को शिक्षा का लाभ मिलेगा।

(श्री चमेल सिंह, पांवटा–साहिब, जिला–सिरमौर)

गत बैठक में विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर से पुनः सम्भावना रिपोर्ट मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जाएगी।

शिक्षा विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार कोलर क्षेत्र में विद्यमान विद्यालयों में +2 कक्षा में नामांकन कम होने के कारण, भूमि उपलब्ध न होने के कारण तथा विद्यमान महाविधालय की दूरी 25 किलोमीटर से कम होने के कारण, कोलर जिला सिरमौर में राजकीय महाविद्यालय खोलना संभव नही है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

38. राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाल्ट को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए।

(श्री सिंहनू राम, बाल्ट, जिला मण्डी)

गत बैठक में विभाग द्वारा सूचित किया गया कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाल्ट को स्तरोन्नत करने बारे प्रस्ताव सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा विभाग को, मामले को फाईल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार राजकीय माध्यमिक पाठशाला बाल्ट को स्तरोन्नत करने बारे उप–शिक्षा निदेशक, जिला मण्डी से पुनः प्रस्तावना सूचना मांगी गई है। अतः प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि एक तो डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर दूसरा हाई स्कूल है तथा 8वीं में भी केवल 18 बच्चे है। इसलिए हाई स्कुल हेतु निर्धरित मापदण्ड पूरे नहीं होते है। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को मामले में पुनः परीक्षण करने तथा मापदण्ड पूरे होने की स्थिति में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

कृषि विभाग/ कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से सम्बन्धित मदें

42. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रवेश (Admission) हेतु सीटों के आरक्षण बारे।

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में ग्राम पंचायत बनुरी(राजपूरा) को Admission के लिए सीटें आरक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत टाण्डा के लिए नहीं है, जबकि पूरा विश्वविद्यालय टाण्डा में ही बना हुआ है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान टाण्डा वासियों को ही हुआ है।

(श्री गोविन्द राम नाईक, सदर, मण्डी)

गत बैठक में विभाग द्वारा सूचित किया गया कि जब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो राजपूरा और खलेट पंचायतों ने इसके लिए भूमि दान दी थी इसलिए इन दोनों पंचायतों के लिए दो–दो स्थान आरक्षित है जबकि टाण्डा पंचायत से उस समय कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई थी। फिर भी कृषि विश्वविद्यालय के साथ लगती पंचायतों के लोगों को कृषि व पशु चिकित्सा इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि विभाग को मामले का परीक्षण करके फाईल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), हि0 प्र0 सरकार द्वारा इस संदर्भ में विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उन्होंने सूचित किया कि जब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो राजपूरा और खलेट पंचायतों की भूमि सरकार को स्थानान्तरित हुई थी इसलिए इन दोनों पंचायतों के लिए दो–दो स्थान आरक्षित किए गए थे जबकि टाण्डा पंचायत से उस समय कोई भी भूमि अर्जित नहीं की गई थी। वर्तमान में वास्तव में यह विश्वविद्यालय तीन पंचायतों बनूरी, टाण्डा व होल्टा में स्थापित है तथा सबसे ज्यादा भुमि 341 हैक्टेयर बनुरी पंचायत की है। 35 हैक्टेयर टाण्डा तथा 21 हैक्टेयर भुमि होल्टा पंचायत की है, परन्तु आरक्षण का लाभ उक्त दो पंचायतों को ही मिल रहा है। कृषि विश्वविद्यालय भी इससे सहमत नहीं है, परन्तु दोनों पंचायतों को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में उक्त आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को मामले में पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

जन–जातीय विकास विभाग से सम्बन्धित मदें

48. लबाणा जाति को जन–जाति सूची में सम्मिलित करवाने बारे।

लबाणा जाति को जन जाति की सूची में सम्मिलित करवाने का प्रस्ताव बहुत पहले से चला है। गुज्जर, गद्दी, लबाणा तीनों जातियां घुम्मकड़ थी व हमारा रहना रीति रिवाज एक जैसे हैं। अतः गद्दी व गुजरों की भांति लबाणा जाति को भी जन–जाति सूची में सम्मिलित करवाने का प्रस्ताव सैंटर को भेजा जाये।

(श्री मदन लाल, बद्दी जिला सोलन)

गत बैठक में मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हि0 प्र0 जन–जातीय विकास विभाग को मामला पुनः भारत सरकार से उठाने के निर्देश दिए गए।

जन जातीय विकास विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार उनके द्वारा पत्र संख्याः TBD.A(TDM)4-11/2010 दिनांक 23 जून 2015 द्वारा सभी सम्बन्धित उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे उक्त बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पुनः प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए हैं ताकि तदानुसार मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुचित किया गया कि इस बारे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी तथा मामला भारत सरकार से भी उठाया गया है, परन्तु भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप यह सम्भव नहीं है। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

अनुवर्ती मदों पर चर्चा उपरान्त तेरहवीं बैठक हेतु प्राप्त नई मदों पर चर्चा आरम्भ की गई। मदों पर चर्चा आरम्भ करने से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया कि एक–एक सदस्य के 12 से 15 मद एजैण्डा में शामिल किए गए है जिस कारण कार्यसूची काफी बड़ी हो गई है तथा समय के आभाव में सभी मदों पर चर्चा कर पाना सम्भव नहीं है। वैसे अधिकांश मदों के सम्बन्धित विभागों के माध्यम से प्राप्त किए गए लिखित उत्तर कार्यसूची में शामिल कर लिए गए हैं तथा सभी उपस्थित सदस्यों को कार्यसूची की प्रतियां भी उपलब्ध करवाई गई हैं अतः एक सदस्य के दो या तीन मुख्य मद जिन के उत्तरों से वे संतुष्ट न हो अथवा जिन पर वे चर्चा चाहते हों पर चर्चा की जानी उचित रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे दो या तीन से ज्यादा मद न भेजें तथा व्यक्ति विशेष के बजाए सम्पूर्ण समुदायों के हितों से सम्बन्धित मदों को भेजा करें। इसके उपरान्त नई मदों पर निम्न विवरणानुसार चर्चा आरम्भ की गईः–

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें

1. **कोट मुण्डखर वाया बल्ही सम्पर्क सड़क मार्ग पर पुल निर्माण बारे ।**

कोट मुण्डखर वाया बल्ही लबाणा सड़क तहसील घुमारवी एवं भोरंज से चार पंचायतों के लोग लाभान्वित होते हैं। इस सड़क के साथ लबाणा समुदाय के गांव क्रमशः कोट टाण्डा, बल्ही, नैली, बुगाड़ तथा बडियाणा शामिल है। इस सम्पर्क सड़क पर गांव बल्ही में सुनैहल खड्ड पर पुल का निर्माण करवाने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह सम्पर्क मार्ग दशमल कोट सड़क वाया कंगरी गांव कोट से शुरू होता है और ऊना नेरचौक सड़क पर गांव जाहू कलां में मिलता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 3.540 कि0 मी0 है, जिसमें से 0/00 से 1/705 कि0 मी0 जिला बिलासपुर मण्डल के घुमारवीं उपमण्डल भराड़ी के अंतर्गत और 1/705 से 3/540 कि0 मी0 भाग कोट से जाहू वाया मुण्डखर तुलसी जिसमें सुनैहल खड्ड आर0 डी0 3/285 पर 91.20 मीटर लम्बा पुल भी शामिल है, जो बड़सर उपमण्डल के अंतर्गत आता है। इसकी विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट मु0 374.36 लाख रूपये की बनाकर माह 3/2015 में नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी है , जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कोट मुण्डखर वाया बल्ही सड़क का कार्य विधायक प्राथमिकता वर्ष 2010–11 के अंतर्गत प्रस्तावित है और उपरोक्त सड़क की कुल लम्बाई 1/600 कि0 मी0 है। इसमें से 0/400 कि0 मी0 तक सड़क को पक्का कर दिया गया है और कि0 मी0 0/400 से 0/570 के बीच में न्यायालय के स्थगन आदेश होने की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है। कि0 मी0 0/570 से 1/600 तक सोलिंग व वियरिंग का कार्य कर दिया गया है। यदि भूमि मालिक कोर्ट केस को वापिस ले लेते हैं व निःशुल्क भूमि विभाग के नाम कर देते हैं तो उपरोक्त सड़क का शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. **कोट टाण्डा से बल्ही लबाणा समुदाय सड़क को पक्का करवाने बारे।**

कोट टाण्डा से बल्ही लबाणा गांव तक सड़क कच्ची है। सड़क की लम्बाई लगभग दो कि0 मी0 है। बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति खराब हो जाती है। इस सम्पर्क सड़क को पक्का करवाने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार कोट बल्ही सड़क का कार्य विधायक प्राथमिकता वर्ष 2013–14 के अंतर्गत प्रस्तावित है जिसकी लम्बाई 1/500 कि0 मी0 है। उपरोक्त सड़क की डी0पी0आर0 भराड़ी उप मण्डल कार्यालय में भूमि इस विभाग के नाम न होने के कारण लम्बित पड़ी है। जब तक गांव से सम्बन्धित भूमि मालिकों द्वारा निःशुल्क विभाग के नाम नहीं करवाई जाती है तब तक सड़क को पक्का करना सम्भव नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

3. **कोट टाण्डा हम्बोट वाया लबाणा बस्ती रीडहा सम्पर्क सडक की मुरम्मत बारे ।**

कोट टाण्डा हम्बोट सड़क जगह–जगह से उखड़ चुकी है। छोटे वाहन इस सम्पर्क सड़क पर चलाना कठिन है। अतः तारकोल बिछाने तथा मुरम्मत करवाने की कृपा करें। इस सम्पर्क सड़क से बस्ती रीहड़ा गांव कंज्याण, कांगरी तथा गुज्जर बस्ती हम्बोट के लगभग 80 परिवार लाभान्वित होते हैं।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार कोट टाण्डा हम्बोट वाया लबाणा बस्ती रीहड़ा सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 0/0 से 2/165 कि0 मी0 है। इस सड़क पर पैच वर्क का कार्य व मुरम्मत शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4. **चाब मोड़ से गांव नैली बुगाड़ सम्पर्क मार्ग को पक्का करने बारे।**

सुपरहाईवे ऊना जाहू के साथ पंचायत मुण्डखर के अन्तर्गत चाब मोड़ में नैली बुगाड़ तक पुराना सम्पर्क मार्ग है। इस मार्ग की लम्बाई एक कि0 मी0 है। इस मार्ग के लिये लोगों ने जमीन दान में दी है। लोक निर्माण विभाग भोरन्ज ने कुछ साल पूर्व इस सम्पर्क मार्ग पर सोलिंग व वियरिंग की थी। अब सड़क खराब हो चुकी है। इस सम्पर्क मार्ग को पक्का करवाने की कृपा करें।

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

मद पर चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह सड़क पी0डब्ल्यु0डी0 की नहीं है। इस सम्पर्क सड़क की की कुल लम्बाई 0.760 कि0 मी0 है। इसमें सोलिंग वियरिंग का कार्य डी. सी. डिपाजिट शीर्ष के अंतर्गत किया गया है और टायरिंग कार्य के लिए डी. सी. डिपाजिट से 2.50 लाख रूपये की राशि जमा है। इससे 0.280 कि0मी0 सड़क को बरसात के बाद पक्का कर दिया जाएगा जिसका टैण्डर ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है। शेष 0.480 कि0 मी0 टायरिंग का कार्य व 2 न0 सी0डी0 व नालियों के कार्य के लिए मु0 10.00 लाख रूपये की आवश्यकता है। इस सम्पर्क सड़क के लिए गांव वालों ने अभी तक भूमि निःशुल्क विभाग के नाम नहीं की है। जैसे ही उपरोक्त कार्य के लिए धन व भूमि उपलब्ध हो जाएगी कार्य कर दिया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. **गांव बडियाना सम्पर्क मार्ग को पक्का करवाने बारे ।**

तहसील भोरन्ज के अन्तर्गत लबाणा समुदाय के गांव बडियाणा के लिये बस्सी मनोह सड़क से एक सम्पर्क मार्ग है, जिसकी दूरी 700 मी0 है व राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडियाणा से गांव बडियाणा तक है। सम्पर्क मार्ग की भूमि लोगों ने विभाग के नाम कर दी है। इस सम्पर्क मार्ग को पक्का करवाने की कृपा करें।

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह सड़क पी0डब्ल्यु0डी0 की नहीं है। यह सम्पर्क सड़क बस्सी मनोह सड़क के कि0 मी0 3/900 प्राथमिक पाठशाला बडियाणा से विभाजित होती है जिसकी लम्बाई लगभग 0.700 कि0 मी0 है। इस सड़क में Renewal (टारिंग का कार्य) किया जाना है क्योंकि पुरानी टारिंग उखड़ चुकी है तथा इसके अतिरिक्त साईड की नालियों व डंगों का कार्य भी किया जाना शेष है जो कि डी. सी. डिपाजिट व अन्य डिपाजिट के अंतर्गत ही किया जाना सम्भव है। इसके लिए लगभग मु0 14.00 लाख रूपये की आवश्यकता है। इस सम्पर्क सड़क के लिए गांव वालों ने अभी तक भूमि इस विभाग के नाम नहीं की है। जैसे ही उपरोक्त कार्य के लिए धन व भूमि उपलब्ध हो जाएगी कार्य कर दिया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. **बतैल के हरियाली टाण्डा सम्पर्क सड़क को पक्का करने बारे।**

बतैल से हरियाली टाण्डा सम्पर्क सड़क (तहसील सरकाघाट जिला मण्डी) की लम्बाई 5 कि0 मी0 है। इस सम्पर्क सड़क के कुछ भाग पर सोलिंग हो चुकी है। इस सम्पर्क सड़क मार्ग को पक्का करवाने की कृपा करें।

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार बतैल हरियाली टाण्डा सम्पर्क सड़क की कुल लम्बाई 4.300 कि0 मी0 है। इसमें से 2.200 कि0 मी0 भाग को पक्का कर दिया गया है तथा शेष भाग को पक्का करने के लिए दिनांक 05—10—2015 को निविदाऐं खोली गईं जिसे शीघ्र ही ठेकेदार को आबंटित करके पूर्ण कर लिया जाएगा। इस कार्य को वार्षिक प्रोग्राम में रखा गया है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

7. **रती रंथाड़ा सड़क वाया ट्रेाह HPPWD डिविज़न न0—2 मण्डी में पिछले 20 वर्षो से बनी है। उस सड़क पर लोग मकान व शौचालय बना रहे हैं। सड़क बहुत तंग है। सड़क वाली जमीन को विभाग अपने कब्जे में ले और अतिक्रमण को रोका जाए। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। स्थिति से अवगत करवाया जाए।**

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0—ट्रोह, तह0—बल्ह ,जिला —मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सड़क की कुल लम्बाई 9.00 कि0मी0 है। इस सड़क को 0/0 से 4/0 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्का किया गया है व 4/0 से 9/0 तक राज्य बजट के तहत चौड़ाई का कार्य किया गया है। इस सड़क की भूमि का अधीग्रहण नहीं हुआ है व निजि भूमि मालिकों से ना तो गिफ्ट डीड मिली है व न ही उन्हें उसका मुआवजा दिया गया है। अतः जहां कहीं भी लोग भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, उन्हें समझा—बुझा कर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जाती है परन्तु ये भूमि विभाग के नाम न होने के कारण न्यायालय में मामला कमजोर पड़ जाता है। इस सड़क के कि0 मी0

0/0 से 9/0 तक 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत जमीन वन विभाग की है तथा इसके हस्तांतरण के लिए इसका वन मामला तैयार करके वन मण्डलीय अधिकारी मण्डी (हि0प्र0) से इसका निरीक्षण भी 13–11–2014 को करवा दिया गया है जिसका वन अधिकार अधिनियम (एफ0आर0ए0) का प्रमाण पत्र उपायुक्त मण्डी,जिला मण्डी के कार्यालय पत्र संख्या 64453–55 दिनांक 17–11–2015 को प्राप्त कर लिया गया है। अतः जब यह भूमि विभाग के नाम हो जायेगी तभी सड़क की चौड़ाई का कार्य किया जा सकता है।

जहां तक सड़क पर अतिक्रमण का प्रश्न है, विभाग के ध्यानार्थ जो भी मामले आ रहे हैं, विभाग द्वारा उक्त स्थान पर राजस्व विभाग द्वारा डिमार्केशन करवाई जाती है तथा सम्बन्धित दोषी व्यक्ति को समय–समय पर अतिक्रमण हटाने हेतू नोटिस दिए जाते हैं व बात न मानने पर मामला न्यायालय में भी ले जाया जाता है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि जब सड़क 20 वर्ष पुरानी है तो आप उसके मालिक हैं जो अतिक्रमण करता है उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जाए। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

8. ग्राम पंचायत गलमा में HPPWD विभाग डिवीजन मण्डी का एक Inspection Hut है जिसमें दो कमरे attached bathroom facility के साथ मौजूद है व एक बरामदा भी है। यहाँ पर विभाग के नाम लगभग दो बीघा भूमि है। कृपया इस हट को विश्राम गृह का दर्जा दिया जाए। मण्डी ,सुन्दरनगर, बल्ह के लगभग 50 किलोमीटर के क्षेत्र में HPPWD व अन्य विभाग का कोई भी विश्राम गृह नही है। इसमें अतिरिक्त कमरों को जोड़कर विश्राम गृह बनाया जाए ताकि अधिकारीयों और VVIP को ठहरने की सुविधा मिल सके।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विभाग ने इस गैंग हट्ट की मुरम्मत करवाकर इसे रहने के योग्य बना दिया है। वर्तमान में इस गैंगहट्ट भवन को रिहायशी विश्राम गृह के तौर पर बुकिंग करना शुरू कर दिया है। अभी तक अतिरिक्त कमरों को जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव नही हैं।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि 01 कमरा अटैच्ड बाथरूम (attached bathroom) के साथ जोड़ दिया जाए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

9. ग्राम पंचायत गलमा के अंतर्गत आने वाली एच0पी0पी0डब्लयु0डी0 विभाग की सड़क जो गलमा से (मजयाली वाया) रिवालसर होकर जाती है, उसी सड़क पर पंचायत संमलैण व गलमा के करनेहड़ा रिहड़ी तक लगभग पांच कि0मी0 सड़क पंचायत द्वारा बनाई गई है। कृपया इस सड़क को एच0पी0पी0 डब्लयु0डी0 विभाग के अंतर्गत लेकर नाबार्ड या पी0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से पक्का करवाया जाए।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार गलमा भलवानी करनेहड़ा ट्रोह सड़क मुख्य सड़क गलमा बुशैहर जो प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कच्ची बनाई गई है, से कि.मी. 0/630, भलवानी नामक स्थान से विभाजित होती है जिसकी कुल लम्बाई भलवानी से ट्रोह तक 2/500 कि0मी0 है। यह सड़क पंचायत द्वारा भलवानी की तरफ से 1/800 कि0मी0 जीप योग्य कच्ची बनाई गई है तथा ट्रोह की तरफ से 300 मीटर पंचायत द्वारा बनाई गई है। इस सड़क में अभी 400 मीटर का भाग है जिसमें अभी तक सड़क नही बनाई गई है। इस 400 मीटर के भाग में स्थानीय लोगों की निजी भूमि व जंगलात पड़ता है, इस शेष भाग में सड़क बनाने के लिए पहले स्थानीय लोगों की निजी भूमि को दान स्वरूप उनसे लेने व वन भूमि का वन मामला बनाने तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही इस शेष भाग में सडक को निर्मित किया जा सकता है। इस सड़क के शेष भाग को निर्मित करने तथा पूरी सड़क को जीप योग्य ही पक्का करने हेतु लगभग 55.00 लाख रू. धनराशि की आवश्यकता है। इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्का नहीं किया जा सकता है क्योंकि गांव भलवानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित गलमा बुशैहर सड़क पर पड़ता है तथा ट्रोह गांव मुख्य रत्ती ट्रोह सड़क जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्की की गई है, पर पड़ता है। गांव करनेहड़ा गलमा मझयाली सड़क जो पक्की है पर पड़ता है। गलमा बुशैहर सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्का करने हेतू इसकी डी0पी0आर0 तथा फारेस्ट केस तैयार किये जा रहे हैं।

माननीय गैर सरकारी सदस्य की सहमति से विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

10. सम्पर्क सड़क समोह से रा0व0मा0 पाठशााला, ग्राम पंचायत समोह व वन विभाग का वन खण्ड अधिकारी कार्यालय से जुड़ा है व यह सम्पर्क सड़क कच्ची है। अतः इसे जनहित में पक्का किया जाए। इससे सीधे–2 तीन कार्यालय जुड जाऐंगें।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सड़क की लम्बाई लगभग 600 मीटर है। यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा नही बनाई गई है और न ही इस सड़क को पक्का करने के लिए कोई बजट का प्रावधान है। इसको पक्का करने के लिए लगभग 25.00 लाख रू0 की आवश्यकता है। यदि बजट का प्रावधान हो जाता है तो उपरोक्त सड़क को पक्का कर दिया जायेगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

11. सम्पर्क सड़क समोह से रा0प्रा0 पाठशाला व माध्यमिक पाठशाला रैसी को पक्का करने बारेः– यह सम्पर्क सड़क राजाओं के समय की है व आज तक कच्ची है इस सम्पर्क सड़क के पक्का होने से समस्त लबाणा समुदाय लाभान्वित होगा।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार समोह से निहाण वाया रैली सड़क की कुल लम्बाई 0/0 से 4/0 कि0मी0 है इसमें से 3.50 कि0मी0 सड़क को चौड़ा कर दिया गया है तथा उक्त सड़क में कि0 मी0 3.500 तक सोलिंग कि0मी0 0/0 से 0/400 तक वियरिंग तथा कि0मी0 0/0 से 0/330 तक सड़क को पक्का कर दिया गया है। उक्त सड़क में (कोड न0 1989–107–84–95) वित्तीय वर्ष 2014–15 में मु0 25000/– रू0 का बजट प्रावधान है तथा उक्त सड़क में श्री देशराज बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व लछमण सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार का न्यायालय में मामला चला हुआ है। कि.मी. 0/0 से 2/0 तक सी0डी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसे पक्का करने हेतू मु0 50.00 लाख रू0 की आवश्यकता है। बजट का प्रावधान होने पर सड़क को पक्का कर दिया जायेगा। वितीय वर्ष 2015–16 में उपरोक्त सड़क के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सड़क इस क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत शामिल की गई है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

12. **लिंक रोड धलूं धनैटा वाया बाबा किरपा चाहड़खोला रोड से बाग गांव धोरन त0 पालमपुर जिला कांगडा हि0प्र0 की सड़क जिसकी लम्बाई 450 मीटर है। इस सड़क पर 9–10 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक श्री बृज बिहारी लाल बुटेल जी ने डोजर से सड़क बनाकर रोड़ी का कार्य करवा दिया था परन्तु उसके बाद पिछली सरकार के समय नाले पर पुली निर्माण हेतु रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) खर्च किये बाकि वियरिंग व तारकोल करना बाकि है । अतः उपरोक्त कार्य करवाया जाए।**

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह सड़क किसी स्कीम के तहत नही आती है न ही इसके लिए बजट का प्रावधान है। यदि 8,00,000/– रू0 के बजट का प्रावधान किया जाता है, तो शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि इसे चाहे जिस किसी भी एजैन्सी के माध्यम से किया जाए परन्तु यह कार्य हो जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग इस कार्य को सुनिश्चित करेगा। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

13. **लिंक रोड दरंग झरेट आर0 डी0 0/750 ग्राम पंचायत घर धोरन से पेलियां बस्ती तक के निर्माण के लिए अनुरोध किया जाता है। इस सड़क के लिए विभाग ने पहले सोलिंग का कार्य किया था परन्तु चढ़ाई होने के कारण बरसात में सारी बह गई है। इसकी लम्बाई 300 मीटर के लगभग है इस सड़क के निर्माण से लबाणा जाति के लोगों के 30–35 परिवारों को लाभ होगा। उपरोक्त सड़क का लोगो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण किया जाए।**

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह सड़क किसी स्कीम के तहत नही आती है न ही इसके लिए बजट का प्रावधान है। यदि 5,00,000/– रू0 के बजट का प्रावधान किया जाता है तो शेष कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जैसे कि अन्य बोर्डो की बैठकों में भी निर्णय लिये गये हैं कि 01 किलोमीटर से कम दूरी की सड़कों को ब्लाक अथवा जिलाधीशों के माध्यम से बनवाया जाए। इस प्रकार की छोटी सड़को का कार्य मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना के तहत् किया जाए। उपायुक्त कांगड़ा को इस कार्य हेतु धनराशि का प्रावधान करने के निर्देश भी दिए गए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

14. लिंक रोड खास धोरन जिसका निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुआ है यह सड़क आबादी के बीच से गुजरती है। सड़क की चौड़ाई कम है। इसलिए सुरेश कुमार गिजमिलिया के घर से जोली तक डंगे लगाने का प्रावधान किया जाए ताकि बड़ी गाड़ी के साथ स्कूटर, कार पास हो सके। यह सड़क आगे दूसरे गांवों को जाती है, जिससें उन लोगों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। उपरोक्त तंग सड़क को ध्यान में रखते हुए डंगे का प्रावधान किया जाए।

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सड़क के उन्नतिकरण की डी0पी0आर0 पी0एम0जी0एस0वाई0 में बनाकर उच्च कार्यालय को भेज दी गई है। स्वीकृति आते ही निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य की सहमति से विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

15. रती–टाण्डा–बाग–सहयाणी मार्ग की मुरम्मत के बारे में जो मार्ग खसता हालत में है गत बैठक में अधिकारियों द्वारा यह कहा गया था कि इसका कार्य अप्रैल तक पूरा कर दिया जाएगा। बडे खेद की बात है कि अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सड़क की मुरम्मत/सुधार हेतू पैच वर्क पूरा किया जा चुका है तथा बाकी मुरम्मत कार्य भी प्रगति पर है। यहां यह कहना भी उचित होगा कि विभाग द्वारा उक्त सड़क का मुरम्मत कार्य समय–समय पर किया जाता है।

मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गत वर्ष भी इस सड़क का 01 कि0 मी0 तक की मुरम्मत व पैच वर्क का कार्य कर दिया गया था। इस वर्ष भी 03 किलोमीटर तक का टारिंग का कार्य अनुोदित हो चुका है जिसे अप्रैल माह में कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

16. अभिलाषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय टाण्डा के बगल में महेसढा जंगल है, जोकि एक स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। वहां पर प्रदेश नही अन्य राज्यों के छात्र–छात्राऐं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। वहां पर जो सरकारी भूमि है वहां पर उनके अभिभावकों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम गृह का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस मद पर सरकार से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि वहां पर लोगों की बैठने की सुविधा के लिए बैच इत्यादि लगावाए जा सकते हैं अथवा पार्क बनाया जा सकता है परन्तु विश्राम गृह की आवश्यकता नहीं है। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

17. राजकीय प्राथमिक पाठशाला बडियाणा से गांव बडियाणा तक (कृष्ण लाल के घर तक) जो कि गांव का दूसरा छोर है, वहां तक पक्की सड़क का प्रावधान करवाया जाए (कच्ची सड़क बनी हुई है) तथा जिस के ऊपर पक्की सड़क बननी है, वो सारी सरकारी भूमि है।

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज ,जिला –हमीरपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। यह सड़क डिपोजिट हैड में बनी है, जिसकी लम्बाई 0.700 कि0मी0 है। यह सड़क 250 मी0 की लम्बाई तक लगभग 15 वर्ष पहले पक्की की गई थी। अब इस सड़क को पक्का करने के लिए लगभग 14.00 लाख रू0 की जरूरत है, जिसे पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर पक्का किया जा सकता है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

18. रा0 प्रा0 पा0 बडियाणा के पास एक वर्षा शालिका बनवाई जाए। गांव वासियों को बस की प्रतीक्षा करते समय धूप तथा वर्षा से जूझना पड़ता है।

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज ,जिला –हमीरपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार प्राथमिक पाठशाला बडियाना के पास वर्षा शालिका निर्माण के लिए लगभग 1.50 लाख रू0 की जरूरत है। पर्याप्त धन उपलब्ध

होने पर वर्षा शालिका का निर्माण किया जा सकता है। जिसके लिए उपायुक्त महोदय हमीरपुर को प्राक्कलन बनाकर शीघ्र भेज दिया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें

19. उठाऊ पेयजल योजना हटवाड़ से पानी की आपूर्ति करने बारे।

घुमारवी तहसील के अन्तर्गत लबाणा समुदाय के गांव कोट टाण्डा तथा बल्ही को टाण्डा में निर्मित पानी के टैंक से पानी आता है। उठाऊ पेयजल योजना हटवाड़ से पहले इस टैंक में पानी डाला जाता था। लेकिन विभाग ने नई उठाऊ पेयजल योजना जाहू से इस टैंक में पानी डालना शुरू कर दिया है। टैंक से तीसरे दिन पानी को छोड़ा जाता है। अतः महोदय पानी की कमी को दूर करने के लिये दोबारा उठाऊ पेयजल योजना हटवाड़ से भी पानी टैंक में डालने के आदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग घुमारवी को देने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार गांव टाण्डा व बल्ही के लिए विभाग द्वारा वर्ष 1983–84 में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु उठाऊ पेय जल योजना कोट देहरा हटवाड़ का निर्माण किया गया था। इस येाजना के अंतर्गत आबादी में बढ़ौतरी होने के कारण पानी की मांग के अनुसार विभाग द्वारा वर्ष 2004–05 में एक अन्य पेयजल योजना कन्जयाण कांगरी सनैहल खड्ड से बनाई गई है, लेकिन दूसरी योजना के जल स्त्रेात में पानी कम हो जाने पर इस योजना से गांव कोट की आबादी को भी जोड़ दिया गया है। इसके उपरान्त उक्त ग्राम वासियों की पेयजल समस्या को मध्यनजर रखते हुए उठाऊ पेयजल योजना कोट देहरा हटवाड़ का सम्वर्धन व ढडोह भरवाड़ा की आंशिक रूप से छूटी हुई बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु प्राक्क्लन बनाया गया था जिसकी स्वीकृति 4.60 करोड़ रूपये की प्राप्त हुई है। इसका कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य के पूर्ण होने पर इनकी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए जब तक ठेकेदार एक कार्य को पूर्ण न कर ले उसे दूसरा कार्य स्वीकृत न किया जाए। चाहे पी0डब्ल्यु0डी0 विभाग हो या आई0पी0एच0 दोनों विभाग इस बारे ध्यान दें व इस संदर्भ में उचित दिशा–निर्देश जारी किए जाऐं। **तदोपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

20. <u>गांव हरियाली टण्डा में हैण्डपम्प लगाने बारे ।</u>

लबाणा समुदाय के गांव हरियाली टाण्डा तहसील सरकाघाट में लबाणा समुदाय के 80 परिवार हैं। लबाणा समुदाय के इस गांव में एक हैण्डपम्प स्वीकृत करने की कृपा करें। गांव बडियाणा में लगभग 50 परिवार हैं इस गांव में भी एक हैडपम्प स्वीकृत करने की कृपा करें।

<u>(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)</u>

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार गांव हरियाली टाण्डा में श्री रोठल राम के घर के पास हैण्डपम्प लगवाने हेतु भू–जल वैज्ञानिक से सर्वेक्षण करवाने के पश्चात भूमि उपयुक्त पाई गई हैं। अतः चिन्हित स्थान पर जल्द ही हैंडपम्प लगवा दिया जाएगा तथा गांव बडियाणा में लगभग 40–45 घर है। इस गांव में दो हैंडपम्प पहले से ही लगे हुए हैं। एक हैंडपम्प गांव के शुरू में लगा हुआ है तथा दूसरा हैंडपम्प, जहां तक हैडपम्प लगााने वाली गाड़ी जा सकती थी (गांव के मध्य) में लगा हुआ है। गांव बडियाणा को पेयजल योजना मालिया सदायाणा द्वितीय चरण से पीने का पानी सुचारू रूप से दिया जा रहा है। अतः गांव बडियाणा लबाणा बस्ती में अतिरिक्त हैंडपम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

21. लबाणा टाण्डा समोह (मध्य) के लिए महिला मन्डल भवन से होते हुए जे0ई0 आई0पी0एच0 गेहड़वीं सैक्शन द्वारा सवा इंच ''डाया पेय जल पाईप का estimate बनाकर सब डिविजन झन्डुता से पास होकर, डिविजन घुमारवीं को लगभग एक वर्ष पहले भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर आज तक कोई भी आगामी कार्यवाही नही की गई है। उपरोक्त estimate <u>का टेंडर करवाकर अविलम्ब इस पाईप लाईन को बिछाया जाये।</u>

<u>(प्यारेलाल गेहड़वी, जिला –बिलासपुर)</u>

मद पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि लबाणा बस्ती टाण्डा को उठाऊ पेयजल योजना समोह भजराई से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस बस्ती के लिए 32 मी0मी0 व्यास की वितरण पईप लाईन डाली गई थी, जिससे लाभार्थीयों को पानी की आपूर्ति संतोषजनक नही होती थी। इसके निवारण हेतु विभाग द्वारा एक अतिरिक्त 32 मी0मी0 व्यास की वितरण पाईप लाईन डालने हेतु मुबलिक 3,46,290/– रू. का प्राक्कलन तैयार किया गया है। अतः प्राक्कलन की स्वीकृति तथा धन का प्रावधान होने उपरान्त इस बस्ती मे अतिरिक्त पाईप लाईन डाल दी जाएगी।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि इस कार्य को नए बजट में डालकर कर दिया जाए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

22. गांव में पीने के पानी की सुविधा एक कुदरती जमीनी पानी के द्वारा पूरी की जाती है यह सुविधा 1996 में बनी थी तब से पानी प्रयोग में लाया जा रहा है। परन्तु जो पानी की गैलरी बनी है वह मिट्टी,कचरे बगैरा से काफी भर गई है। उसे साफ करवाया जाये और जो पानी की टंकी बनी है वह भी लीक हो गई है जिससे काफी पानी बरबाद होता है जिसके लिए एक बडा टैंक बनाया जाये।

(प्रकाश चन्द, गां0 –टांडा मस्सल, तह0 नगरोटा बगवां,जिला–कांगडा)

मद पर चर्चा करते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव टाण्डा मस्सल का स्त्रोत भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था टाण्डा मस्सल गांव के लिए इस समय पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी है। इस गांव को पानी की आपूर्ति एक विद्युतिकृत हैण्डपम्प के माध्यम से भी की जाती है। गैलरी की मुरम्मत का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा। पानी का टैंक काफी पुराना तथा पत्थर की चिनाई से बना है तथा इसकी मुरम्मत करना सम्भव नहीं है। टण्डा मस्सल गांव के लिए नई पेयजल योजना गुजरेडा मस्सल रू.116.00 लाख की स्वीकृत करवा ली गई है। जिसमें नलकूप, आर0सी0सी0 टैंक तथा वितरण प्रणाली का प्रावधान है। इसमें अभी नलकूप लगा दिया गया है तथा शेष कार्य चरणबद्ध तरीके से कर लिया जायेगा। वर्तमान में गांव को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि कार्य को शीघ्र पूरा करके गांव की पेयजल की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

23. लबाणा बस्ती टान्डा समोह शिव मन्दिर नजदीक गुरू की बड के पास हैन्ड पम्प लगवाया जाए जिसमें 20–25 परिवार लाभान्वित होंगे।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लबाणा बस्ती टाण्डा समोह शिव मन्दिर नजदिक गुरू की बड के पास की बस्ती में 12 परिवार रहते है। वर्तमान में उक्त बस्ती को ऊठाऊ पेयजल योजना समोह भजराई से पेयजल सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। वांछित स्थल पर हैण्डपम्प लगाने हेतु भू–जल विज्ञानी से स्थान का निरिक्षण करवाया जाएगा तथा Site Feasible होने व धन का प्रावधान होने पर हैण्डपम्प लगा दिया जाएगा।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि यदि Feasible हुआ तो इस कार्य को Top priority देकर हैण्डपम्प लगा दिया जाए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

24. ग्राम पंचायत समोह अप्पर टान्डा भण्डारी राम व अन्य के घरों के पास हैन्डपम्प लगाया जाये जिससे 15–18 परिवार लाभान्वित होंगे।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत समोह अप्पर टाण्डा श्री भण्डारी राम व अन्य के घरों के लगभग 90 मी0 की दूरी पर एक हैण्डपम्प सूचारू रूप से उपलब्ध

करवाया जा रहा हैं वर्तमान में उक्त बस्ती को ऊठाऊ पेयजल योजना समोह भजराई से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बस्ती में अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाना विभागीय मापदण्डों के अनुसार व्यवहारिक नहीं है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

25. गांव भजबान में हंस राज, सीताराम व बाबा बालक नाथ मन्दिर के पास हैन्ड पम्प लगवाया जाए जिससे 8–10 परिवार लाभान्वित होगें व मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं की पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव भजबान में श्री हंसराज, सीताराम व बाबा बालक नाथ मन्दिर के पास जिस स्थान पर हैण्डपम्प स्थापित करने की मांग की गई है, उस स्थल तक हैण्डपम्प लगाने कि मशीन ले जाने योग्य सड़क उपलब्ध नहीं है। अतः सड़क की उपलब्धता होने पर ही इस विषय में आगामी कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान में उक्त बस्ती कों ऊठाऊ पेयजल योजना नेरस भजवाण से पेयजल सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

26. कजैल ग्राम में सुरेश कुमार व अन्य जो कि 15–20 परिवार है उनके लिए पीने के पानी हेतु हैन्ड पम्प लगवाया जाए।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव कजैल में श्री सुरेश कुमार व अन्य को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन परिवारों के घर उक्त योजना के अन्तिम छोर पर होने के कारण गर्मियों में पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही हो पाता है तथा इन घरों के पास कोई भी हैण्डपम्प लगाने हेतु भू–जल विज्ञानी से स्थान का निरीक्षण करवाया जाएगा तथा Site Feasible होने व धन का प्रावधान होने पर हैण्डपम्प लगा दिया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

27.विजयपुर मैहरे गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है व आज भी लोग पानी के लिए तरसते है। अतः इनके लिए रिडी नामक स्थान पर टैंक बनाया जाए व समोह स्टोरेज टैंक से सीधे ढाई इंच की पाईप लाईन डाल कर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए जो कि जनहित में अति आवश्यक है ।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव विजयपुर मैहरे में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतू 41,100 लीटर क्षमता का जल भण्डारण टैंक अप्पर डीगुं में बनाया जा रहा है। जिस का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है व शेष कार्य प्रगति पर है जिसे 3/2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस टैंक के निर्माण होने से इस बस्ती को सूचारू रूप से पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

28. गांव नेरश में रवीकान्त पुत्र श्री जीवानन्द व अन्य 20—25 परिवारों को पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक डेड इंच की पाईप समोह टैंक से डाली गई है जो कि पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है क्योंकि गांव उँचाई पर है व पानी का टैंक नीची जगह पर है जिस कारण पानी की आपूर्ति नही हो पाती है। अतः इन्हें नियमित पानी आपूर्ति हेतु नेरशा देवी (दाड़ी—वाड़ी योजना का) मुख्य टैंक से दो इंच की पाईप लाईन डाल कर पानी की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है।

(अनिल कुमार गांव —समोह ,त0—झण्डुता ,जिला —बिलासपुर)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि गांव नेरश में श्री रविकांत सुपुत्र श्री जीवानन्द व अन्य को वर्तमान में उठाऊ पेयजल योजना समोह भजराई से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यह गांव उक्त योजना के अन्तिम छोर पर होने के कारण गर्मीयों में पेयजल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इस बस्ती को निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना भजवाण व धराडसानी में सम्मिलित किया गया है। जिस का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने पर इस बस्ती की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

29. लबाणा बस्ती धोरन में जोली नामक स्थान नजदीक आंगनबाड़ी केन्द्र हैन्ड पंम्प लगाया जाए। विधायक श्री जगजीवन पाल जी ने पिछले वर्ष हैंडपम्प लगाने का वायदा किया था लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ। अतः अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी से इस स्थान पर हैंड पम्प लगाने के लिए विभाग को आदेश दें।

(सुशील कुमार, गांव —धोरन , तह0—पालमपुर , जिला — कांगडा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विभाग द्वारा स्थान का सर्वेक्षण करवा लिया गया है चयनित स्थान पर शीघ्र हैण्डपम्प लगा दिया जायेगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

30. लबाणा बस्ती गदियाड़ा दरंग में भी हैण्डपम्प लगाया जाए। इस गांव में भी 20–25 परिवार लबाणा जाति के रहते हैं। अतः अनुरोध है कि इस स्थान का सर्वे करवा कर जल्दी से जल्दी हैण्डपम्प लगाया जाए।

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विभाग द्वारा स्थान के चयन हेतु भू–जल विज्ञानी को लिख दिया गया है। स्थान के चयन उपरान्त स्थान उपयुक्त पाया गया तो शीघ्र ही हैण्डपम्प लगाा दिया जायेगां। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

31. कुहल बल्ला की मुरम्मत व निर्माण बारे। इस कुहल से लबाणा जाति की 150 कनाल भूमि की सिंचाई होती है। इस कुहल को कुहल कथूल, दरंग, धोरन, धनेटा से पानी मिलता है। इसका निर्माण आई0पी0एच0 विभाग से करवाया जाए। यह क्षेत्र मण्डल उप मण्डल पालमपुर के अधीन आता है।

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि बल्ला कुहल जो कि वहाव सिंचाई योजना कथूल कुहल के अधीन आती है उसमें बड़ी पाईप बिछाने हेतु डी0पी0आर0 में नाबार्ड द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थी तथा आपत्तियों को दूर करके डी0पी0आर0 वापिस भेज दी गई है। स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त कुहल की मुरम्मत का कार्य कर दिया जायेगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

32. लबाणा बस्ती धोरन दरंग चेली में पानी की पाईप को सुधार करने बारे कुछ पाईप जंग से ब्लौक हो चुकी है। सर्वे कर पानी की सुविधा में सुधार किया जाऐ।

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पेयजल योजना दरंग धोरन, घनेटा का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ लगते गांव धोरंन, दरंग, चेली की पुरानी पाईपों को बदलने का कार्य भी शीघ्र कर दिया जायेगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

33. मौठिया बस्ती (ग्राम पंचायत टांडा राजपुर) एवं रवि लबाणा त्रिलोकपुर लबाणा मुकामिया (ग्राम पंचायत (मुहाल बनूरी) में एक एक (हैण्डपम्प विधुतकृत) हैण्डपम्प लगवाये जाए।

(जसवन्त सिंह ब्राहमण, गांव– टांडा ,डा0–राजपुर ,तह0–पालमपुर ,जिला– कांगडा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि यह अभी नई मद प्राप्त हुई है। इस कार्य को करने हेतु प्राक्कलन डी0सी0 डिपोजिट हैड के अन्तर्गत बनाकर तथा निरीक्षण उपरान्त इसे स्वीकृति हेतु तथा धन उपलब्ध करवाने के लिये शीघ्र ही जिलाधीश कांगड़ा को भेज दिया जायेगा।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि मामले का परीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

34. लगभग 50–60 हैक्टेयर चिन्हित सिंचित भूमि यूनिवर्सिटी(चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय,पालमपुर) बिजली घर के पास टयूबवैल लगवाया जाऐ।

(जसवन्त सिंह ब्राहमण, गांव– टांडा ,डा0–राजपुर ,तह0–पालमपुर ,जिला – कांगडा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि यह अभी नई मद प्राप्त हुई है। इस कार्य को करने हेतु प्राक्कलन डी0सी0 डिपोजिट हैड के अन्तर्गत बनाकर तथा निरीक्षण उपरान्त इसे स्वीकृति हेतु तथा धन उपलब्ध करवाने के लिये शीघ्र ही जिलाधीश कांगड़ा को भेज दिया जायेगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि वहां पर जो पुरानी कुहल है उसकी मुरम्मत बारे भी विभाग कार्यवाही करे तथा हैण्डपम्प/टयूबवैल लगाने बारे भी संभवनाऐं तलाशी जाए।

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

35. पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से जंदेरा तक चमरखड्ड से पुरानी कुहल का निर्माण किया जाये ताकि गांव वालो सिंचाई की सुविधा मिल सके।

(डा0 एस0एस0 भाटिया ,गांव –टाण्डा,डा0 –राजपुर,तह0–पालमपुर, जिला–कांगड़ा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि यह अभी नई मद प्राप्त हुई है। इस कार्य को करने हेतु प्राक्कलन डी0सी0 डिपोजिट हैड के अन्तर्गत बनाकर तथा निरीक्षण उपरान्त इसे स्वीकृति हेतु तथा धन उपलब्ध करवाने के लिये शीघ्र ही जिलाधीश कांगड़ा को भेज दिया जायेगा।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए कि मामले का परीक्षण करके कुहल की मुरम्मत बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

36. चमरखड्ड पर दो वाटर रिजरवायर का निर्माण किया जाये ताकि ऑफ सीज़न मे कृषि की सिचाई हेतु पानी की सुविधा मिल सके।

(डा0 एस0एस0 भाटिया ,गांव –टाण्डा,डा0 –राजपुर,तह0–पालमपुर, जिला–कांगड़ा)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि यह अभी नई मद प्राप्त हुई है। इसका अभी परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें

37. **गांव बडियाणा में एक सामुदायिक भवन बनाया जाए।**
(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

इस मद पर ग्रामीण विकास विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर द्वारा सूचित किया गया कि यह एक नई मद है तथा इसका परीक्षण करवाकर, भूमि हस्तांतरण इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण करने उपरान्त प्राक्कलन बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त हमीरपुर को निर्देश दिए गए कि मामले का परीक्षण करके आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं।

(उपायुक्त हमीरपुर/ग्रामीण विकास विभाग)

38. **सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए धन राशि स्वीकृत करने बारे। गांव धोरन में 175 परिवार लबाणा जाति के व 15 परिवार अन्य जाति के रहते हैं, जिसकी आबादी 850 के लगभग है। लबाणा जाति के लोग मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते है। इस गांव में श्री लाल सिंह जी स्वतंत्रता सैनानी भी रहते है। वह भी स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने ने भी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम पर भव्य सामुदायिक भवन निर्माण बारे स्वतन्त्रता सैनानी कल्याण बोर्ड के माध्यम से अनुरोध किया है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रार्थना को स्वीकार करके कृथार्त करें।**
(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगड़ा)

इस मद पर ग्रामीण विकास विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त कांगड़ा को मामले का परीक्षण करके आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

39. **लबाणा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अनुदान लगभग दस लाख रूपये जो कि पिछली बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया गया था कि इस वर्ष बजट का प्रावधान नही है। अगले वितीय वर्ष में बजट का प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा। इस में हुई प्रगति की जानकारी दें।**
(जसवन्त सिंह ब्राहमण ,गांव– टांडा ,डा0–राजपुर ,तह0–पालमपुर ,जिला – कांगडा)

इस मद पर ग्रामीण विकास विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि हर जगह प्रत्येक गांव में समुदायिक भवन बना पाना सम्भव नहीं है। समुदाय विशेष के लिए किसी एक स्थान पर जहां अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें, वहां पर लबाणा सामुदायिक भवन निर्माण का औचित्य बनता है। मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया कि इस मद पर पहले भी **अनुवर्ती मद संख्या–29** पर

चर्चा हो चुकी है तथा **माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पांच लाख रूपये स्वीकृत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

40. अन्य पिछडा वर्ग के लोगों को इस वर्ष के पंचायत चुनाव में विशेषकर वार्ड पंचों के लिए आरक्षण नहीं दिया गया इसका स्पष्टीकरण दिया जाए ।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0—बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनानुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8(4) के अन्तर्गत राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के अन्तर्गत आरक्षण प्रदान कर सकती है। इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में निर्णय लिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित आकड़ों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, उस समय ग्राम पंचायत के वार्ड मैम्बर को छोड़ कर बाकि स्थानों व पदों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकतम 15 प्रतिशत तक का आरक्षण दिया जा रहा है। जहां तक, वार्ड मैम्बर का प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग के आकड़े वार्ड—वार उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण सम्भव नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

41. खेल के मैदान के निर्माण कार्य के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने हेतु।

गांव वडियाणा तहसील भोरन्ज, जिला हमीरपुर में रा0 प्रा0 पा0 बडियाणा के नाम लगभग 9 कनाल जमीन है। पाठशाला में बच्चों के खेलने के लिये मैदान नही है। अतः खेल मैदान निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण मद पर चर्चा नहीं की गई तथा **मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

42. अन्य पिछडा वर्ग के वर्ष 2008—2010 के जे0बी0टी0 विधार्थी जो टी0ई0टी0 पास है, सभी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाये।

(प्यारेलाल गेहड़वी, जिला —बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि भर्ती हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गो के लिए आरक्षण की प्रतिशतता निर्धारित है तथा जब भी शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों को उनकी पात्रता के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

43. **राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय प्राथमिक पाठशला, मुन्दड़ू शिक्षा खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के नाम राजस्व विभाग में कितनी भूमि दर्ज है? उसमें से कितनी भूमि दे दी है और क्यों? स्कूल के नाम कितनी भूमि है, जो स्कूल के नाम है तथा कितनी भूमि किसी और की है जिस पर शिक्षा विभाग का कब्जा है व कब से? पूर्ण विवरण दिया जाए।**

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला व राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुन्दड़ू , शिक्षा खण्ड बल्ह के कब्जा में रकवा 13–15–4 सरकार हिमाचल प्रदेश एहवाल कब्जा शिक्षा विभाग के नाम खसरा ना0 280/339 मौजा बुशहर /194 जिला मण्डी में दर्ज है और उक्त पूरी भूमि पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला , मुन्दड़ू का पूर्ण रूप से कब्जा है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

44. **राजकीय उच्च विद्यालय टांडा में बास्केट बाल ग्राउंड का कोर्ट बनाया जाऐ जिस पर अनुमानित लागत –3 लाख रूपये है।**

(जसवन्त सिंह ब्राहमण, गांव– टांडा ,डा0–राजपुर ,तह0–पालमपुर ,जिला – कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि उप–शिक्षा निदेशक, जिला कांगडा द्वारा मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय टांडा, जिला कांगडा से सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित भूमि संबन्धी सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होने पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि बास्केट बाल का कोर्ट स्कूल के ग्राउंड में ही बनाया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा विभाग को मामले का परीक्षण करके आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

45. **ग्राम पंचायत सोथरा के मोहाल ढोलंगी में प्राथमिक पाठशाला का खुलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहां पर लबाणा समुदाय के लोग अधिक है। अति निर्धनों के बच्चों की शिक्षा के लिए नजदीक पाठशाला का खुलना अत्यंत आवश्यक है।**

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत सोथरा के मोहाल ढोलंगी में प्राथमिक पाठशाला खोलने का निवेदन

किया गया है। इस संदर्भ में प्राथमिक पाठशाला खोलने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रस्तावित स्थान का सर्वेक्षण करवाकर आगामी आवयश्क कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

46. शेरसिंह नायक जोकि लबाणा समुदाय के गैर सरकारी सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय श्री चौधरी पीरू राम जो कि बल्ह के गांधी के नाम से विख्यात थे के समय से पार्टी के वफादार सदस्य है। जिन्होंने समाज शास्त्र तथा इतिहास विषय में सनात्कोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत करने की कृपा करें।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि इस बारे मामला सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड ,धर्मशाला से उठाया गया था। इस संदर्भ में सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड ,धर्मशाला द्वारा सूचित किया गया है कि ' दी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 1968'' की धारा –4 के अन्तर्गत माननीय बोर्ड सदस्यों का मनोनयन हि0प्र0 सरकार द्वारा तीन वर्षो की अवधि के लिये किया जाता है। इस सम्बन्ध में हि0 प्र0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2015 के अन्तर्गत बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों को मनोनीत किया जा चुका है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें

47. ओ0बी0सी श्रेणी के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को बैकलॉग के माध्यम से भरा जाए ताकि लबाणा समुदाय के शिक्षित, प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह, जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि इस मद के संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध करवा दी गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक आवश्यकतानुसार कार्यकारी पदों को समय–समय पर भरा जा रहा है, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग को हर संवर्ग को आबंटित किये गए रोस्टर बिंदुओं के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। वर्तमान में लबाणा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है तथा राज्य सरकार ने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को श्रेणी–1 व श्रेणी –11 में 12 प्रतिशत तथा श्रेणी –111 व श्रेणी –IV में 18 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है, जिसके अन्तर्गत लबाणा समदाय के लोग भी इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

48. लबाणा समुदाय के जिस परिवार में कोई भी सरकारी सेवा से नहीं है उस परिवार में से किसी न किसी को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाये।

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज , जिला –हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि इस मद के संदर्भ में भी कार्मिक विभाग द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध करवा दी गई है कि राज्य सेवाओं में जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं हैं, यद्यपि लबाणा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में शामिल हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में प्रदान किये जा रहे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहा है।

फिर भी राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/निर्देशों का अनुसरण करती है। इस बिन्दु पर केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर विचार किया जाना संभव होगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें

49. सी0एच0सी0 रत्ती (बल्ह) जिला मण्डी को रैफरल अस्पताल बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले लबाणा कल्याण बोर्ड की बैठक में कर दी थी, लेकिन इस पर अभी तक काई भी कार्यवाही नही हो पाई है। सी0एच0सी0 रती की ओ0पी0डी0 प्रतिदिन 250–300 तक की है जबकि अन्य सी0एच0सी0 की ओ0पी0डी0 बहुत कम है। इसके साथ डाक्टर की पोस्ट भी खाली चल रही है। कृपया इस मांग को पूरा किया जाए। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, अवगत करवाया जाए। इसके साथ ग्राम पंचायत ट्रोह में उप स्वास्थ्य केन्द्र बुशैहर में खोलने का मामला भी लंबित है। ब्यौरा दिया जाए।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचनानुंसार सी0एस0सी0 रत्ती को रैफरल अस्पताल बनाने का मामला सरकार को उनके निदेशालय के पत्र संख्या :–एच0एफ0डब्लयू–H(IV)F-8/2008 दिनांक 31–07–2015 द्वारा भेजा गया है तथा सी0एस0सी0 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पदों का सृजन करने का मामला पत्र संख्याः एच0एफ0डब्लयु–एच(5)ए0(9)ए/27/2009 दिनांक 05–8–2015 द्वारा भेजा गया है। सी0एच0सी0 रत्ती में इस समय 05 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है जिनमें से 04 पद भरे हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी से प्राप्त सुचनानुसार सी0एच0सी0 रत्ती के 03 आवासों की मुरम्मत के लिए पी0डब्लयु0डी0 विभाग से प्राक्कलन मांगे गए हैं। तीन सरकारी आवास गिरा दिए हैं तथा उस स्थान पर नया भवन बनाया जा रहा है, बाकि सभी भवनों में बिजली ठीक है।

उप स्वा0 केन्द्र बुशैहर खोलने का मामला सरकार को पत्र संख्या :–एच0एफ0डब्लयु0–एच(4)/जनरल/2013–283 दिनांक 14–1–2015 को भेजा गया जिस पर सरकार ने सी0एस0सी0 रत्ती और उप

स्वास्थ्य केन्द्र बुशैहर में पदों को सृजन करने का मामला निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भेजने को लिखा था जो कि पत्र संख्याः–एच0एफ0डब्लयु–एच.(5)ए0(9)/27/2009 दिनांक 5/8/2015 द्वारा सरकार को भेजा गया है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को डाक्टरों की तैनाती के संदर्भ में की गई चर्चा अनुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

50. डाक्टर अन्जना (डैण्टल) को सी0एच0सी0 रती से सी0एच0 सुन्दर नगर के लिए क्रमशः 9 नोट माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा अनुमोदित भेजे गये है व दो नोट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अनुमोदित भेजे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे सी0एच0सी0 रती से सी0एच0सी0 गोहर बदल दिया। क्या यह साजिश है या विभाग कोई व्यक्तिगत जिद कर रहा है। किन–2 कारणों से उपरोक्त आदेश नहीं हुये विस्तृत जानकारी दी जाये।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह, जिला –मण्डी)

इस मद के संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय गैर–सरकारी सदस्य से अनुरोध किया गया कि स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यक्तिगत मामले इस बोर्ड की बैठक में चर्चा हेतु नहीं उठाए जाने चाहिए। मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी माननीय गैर–सरकारी सदस्य को ऐसे व्यक्तिगत मामले बैठक में चर्चा हेतु न उठाने का अनुरोध किया गया तथा सभी को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों पर चर्चा के लिए यह फोरम नहीं है। ऐसे मामलों पर अलग से बात कर लिया करें। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

परिवहन विभाग से सम्बन्धित मदें

51. गांव से मंला मसल सड़क जाती है जो कि सन 2000 मे बन गई थी पर आज तक कोई परिवहन की सुविधा नही है। इस पर बस चलाई जाये।

(प्रकाश चन्द, गां0 –टाण्डा मस्सल, तह0 नगरोटा बगवां,जिला–कांगडा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि परिवहन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम नगरोटा बगवां क्षेत्र द्वारा दिनांक 22–01–2016 से गांव से मंला मसल सड़क पर बस सेवा शुरू कर दी गई है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय गैर–सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि परिवहन विभाग द्वारा बस तो चलाई गई है लेकिन उसका समय सही नहीं है जिसका लागों को व स्कूल के बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में चर्चा उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हि0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय गैर–सरकारी सदस्य को आश्वासन दिया गया कि बस के समय को एडजस्ट कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

52. **सरकार ने बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए निःशुल्क पास दिये हैं लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये हमीरपुर जाना पड़ता है तथा कोई सरकारी बस इस रूट पर नहीं चलती है। अतः जाहू से हमीरपुर वाया बडियाणा भोरंज होते हुए हमीरपुर को बस चलवाई जाये ताकि हमीरपुर को आने जाने वाले लबाणा गांवो के साथ–साथ अन्य गांवों को भी इस रूट का लाभ मिल सके।**

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज ,जिला –हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि परिवहन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर क्षेत्र द्वारा जाहू से हमीरपुर तथा वापिसी वाया बडियाणा भोरंज सेवा शुरू करने के लिए परिवहन विभाग से रूट परमिट हेतु आवेदन किया गया है। जैसे ही परमिट प्राप्त हो जाएगा तो उक्त रूट पर बस सेवा उपलब्ध कर दी जाएगी।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि बस चलाने के आदेश कर दिए गए है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

हिम ऊर्जा से सम्बन्धित मदें

53. **लबाणा समुदाय के गांव कोट टाण्डा तथा बल्ही में सोलर लाईटें लगवाने बारे।**

इन दोनों गांवों के मध्य कम से कम तीन –तीन सोलर लाईटें लगवाने की कृपा करें। इन गांवों में लबाणा समुदाय के लगभग 150 परिवार रहते हैं ।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

54. **लबाणा समुदाय के गांव बडियाणा , नैली , बुगाड़ , तथा नगरोटा गाजियां में दो–दो सोलर लाईटें लगवाने की कृपा करें।**

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

55. **लबाणा टाण्डा समोह के महिला मन्डल भवन के पास एक सोलर लाईट लगाई जाये।**

(प्यारेलाल गेहड़वी, जिला –बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि हिमऊर्जा से प्राप्त सूचनानुसार हिमऊर्जा को केवल अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवो में 100 प्रतिशत उपदान पर नियमानुसार सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत बजट का प्रावधान किया जाता है। अतः लबाणा समुदाय जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं है, की आबादी वाले स्थानो/गांवो में सोलर स्ट्रीट लाइटें निशुल्क लगाना सम्भव नहीं है। हिमऊर्जा द्वारा पूर्ण मुल्य पर भी सोलर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्तमान में दो प्रकार की सोलर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करवाई जा रही है जिसमें (1) सी0एफ0एल0 टाईप की लाईट का मुल्य 18365/–रू. प्रत्येक तथा (2) एल0ई0डी0

टाईप की लाईट का मूल्य 15530/– रू. प्रत्येक है। यदि हिमऊर्जा को धन का प्रावधान करवा दिया जाता है तो लबाणा समुदाय की आबादी वाले गांव में मांग अनुसार सोलर स्ट्रीट लाईटे लगवा दी जाऐंगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

हि0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित मदें

56. गांव कोट टाण्डा व बल्ही में थ्री फेस बिजली लाईन बारे।

गांव कोट टण्डा तथा बल्ही में बिजली की लाईन को थ्री– फेज़ किया जाये। कम रोशनी से रात को बच्चों के पढ़ने में कठिनाई होती है। अतः इस समस्या को दूर करवाने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार गांव कोट टाण्डा तथा बल्ही की लबाणा बस्ती को इस समय विद्युत आपूर्ति 63 के0वी0ए0 उपकेन्द्र कंज्याण से की जा रही है। इस बस्ती से थ्री फेज लाईन 290 मीटर की दूरी पर है। जिसमें 220 मीटर दो फेज़ तथा 70 मीटर सिंगल फेज लाईन बनी है। जब भी कोई उपभोक्ता थ्री लाईन फेज़ कुनैक्शन के लिए आवेदन करेगा उसको सभी विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त थ्री फेज़ लाईन/ कुनैक्शन दे दिया जाएगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (MPP & Power), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि इसमें 310 मी0 थ्री फेज़ लाईन लगनी है तथा जून, 2016 तक यह कार्य कर दिया जाएगा। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

57. गांव धोरन के खासरिया बस्ती व भौरा बस्ती में बिजली की सप्लाई केबल डालकर 16–17 वर्ष पूर्व हुई थी। परन्तु अब इन व्यक्तियों को लाइन खम्बे लगा कर दी जानी चाहिए। यह क्षेत्र अनुभाग परौर उपमण्डल मारण्डा व मण्डल पालमपुर के अधीन आता है। 50–60 घरों को इससे लाभ होगा।

(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)

मद के संदर्भ में सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार गांव धोरन के खासरिया बस्ती व भौरा बस्ती में बिजली की सप्लाई केबल द्वारा की गई है तथा इस केबल को बदलने के लिये 0.950 कि0 मी0 थ्री फेस लाईन बनाई जानी प्रस्तावित है जिसमें 14 पोल लगेंगे। इस कार्य के लिये लगभग 4 लाख रू0 खर्च होंगे। इस कार्य को करने का प्रावधान कांगड़ा वृत की वृतवार उपभोक्ता एवं विद्युतिकरण योजना (जी0एस0सी0) के अन्तर्गत रखा गया है तथा यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूरा कर लिया जाएगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (MPP & Power), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि इसमें भी लगभग 01 कि0 मी0 थ्री फेज़ लाईन लगनी है तथा अप्रैल, 2016 तक यह कार्य कर दिया जाएगा। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

58. टाण्डा में लबाणा समुदाय के लोगों की जनसंख्या बाकि समुदाय के लोगों से ज्यादा है वहां स्ट्रीट लाईटस लगाना जरूरी है इसके साथ ही इस गांव में एक बहुत बड़ी कुश्ती का आयोजन किया जाता है जंहा पर यह दंगल होता है वहां पर तीन स्ट्रीट लाईटस् लगना जरूरी है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 में स्वयं स्ट्रीट लाईट लगाने के लिये कोई भी प्रावधान नहीं है। स्थानीय पंचायत/संस्था अगर स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु आवेदन करती है तो उस कार्य का प्राक्कलन तैयार करके स्थानीय पंचायत/संस्था को दिया जाता है। अगर स्थानीय पंचायत/संस्था प्राक्कलन के अनुसार राशि विद्युत विभाग के पास जमा करवाती है तो उस कार्य को किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय पंचायत को मासिक विद्युत खपत बिल जमा करवाने के लिये भी विद्युत विभाग से ऐग्रीमैन्ट करना होगा।

गांव टाण्डा में सम्बन्धित ग्राम पंचायत/संस्था द्वारा स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लि0 के पास मांग पत्र व ए0 एण्ड ए0 फार्म पर अभी तक कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। सम्बन्धित ग्राम पंचायत या संस्था अगर आवेदन करेगी तो उनकी मांग के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर उनके द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाने तथा विभाग के नियमों को मद्देनजर रखते हुए सभी विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर स्ट्रीट लाईट का कुनैक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त शिमला से सम्बन्धित मदें

59. राजधानी स्तर पर एक लबाणा भवन बनवाने के लिये उचित धन–राशि एवं जमीन का प्रावधान करने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

60. कई वर्षो से लबाणा समुदाय की मांग थी की शिमला या शिमला के नजदीक के लबाणा भवन का निर्माण करवाया जाए ताकि प्रदेश के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से शिमला आने वाले लोगों को रहने की सुविधा मिल सके । दूसरे प्रदेशों से भी इस समुदाय के लोग आते हैं। उन्हें भी ठहरने की भारी मुश्किल होती है। इस मांग को लबाणा हित में पूरा किया जाए।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार इस संदर्भ में उपमण्डलाधिकारी (ना0) शिमला(शहरी) व शिमला(ग्रामीण) को लबाणा भवन बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि चयन के लिए लिखा गया है। जहां तक शिमला शहरी क्षेत्र में भूमि का प्रश्न, उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है और शिमला ग्रामीण के क्षेत्रीय कर्मचारियों को उपयुक्त भूमि चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

उपायुक्त बिलासपुर से सम्बन्धित मदें

61. गांव कोट टाण्डा तथा बल्ही के शमशानघाटों के पास वर्षा–शालिकाएं निर्माण करने बारे।

लबाणा समुदाय के गांव कोट टाण्डा तथा बल्ही तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर के शमशानघाटों के पास एक–एक वर्षा–शालिका निर्माण करवाने हेतु धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें ।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

इस मद के संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि उक्त कार्य का प्रकरण खण्ड विकास अधिकारी, घुमारवी से धन राशि की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है जो जिला योजना अधिकारी, बिलासपुर को धन राशि स्वीकृत करने हेतु भेजा जा चुका है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

62. स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत गांव कोट टाण्डा तथा बल्ही में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालियां बनवाने हेतू धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री हेम राज, घुमारवीं, जिला बिलासपुर)

इस मद के संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत कोट स्वच्छः भारत अभियान के अन्तर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के लिए चयनित है जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 पंचायतों को पायलट किया गया है, जिसमें यह पंचायत भी शामिल है। इन पंचायतों को इस कार्य के लिए प्रति पंचायत 15 से 20 लाख रूपये मिलेंगें। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

63. गांव कोट टाण्डा में मन्दिर सुमाडसिद्ध में सराय के कमरे के लिये धनराशि उपलब्ध करवाने बारे ।

ग्राम पंचायत कोट तहसील घुमारवी के अन्तर्गत गांव कोट टाण्डा में बाबा सिद्ध गोदडिया नाथ जी का एक प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर में दूर–दूर से लोग बाबा जी के दर्शनों के लिये आते हैं। मन्दिर में एक सराय के कमरे का निर्माण होना अति आवश्यक है जिसके लिए धनराशि बाबा सुमाड़सिद्ध मन्दिर विकास समिति कोट को स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

इस मद के संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि उक्त कार्य के लिए मु0 2,50,000/– रू0 की धन राशि स्वीकृत करके खण्ड विकास अधिकारी ,घुमारवी को भेजी जा चुकी है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

64. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजनाः– ग्राम पंचायत समोह के गांव समोह मे लगभग 40 प्रतिशत आबादी लबाणा समुदाय की निवास करती है अतः गाव समोह को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद लिया जाए।

(अनिल कुमार गांव –समोह , त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

इस मद के संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना मार्ग दर्शिका के अनुसार एस0सी0/एस0टी0 के लिए ही लागू है। जैसा कि माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्वयं ही अपने मद में लिखा गया है कि गांव समोह मे लगभग 40 प्रतिशत आबादी लबाणा समुदाय की निवास करती है जो अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हैं। अतः गाव समोह को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गोद नहीं लिया जा सकता। **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

65. सम्पर्क सड़क दिलाराम की दुकान से निचला टान्डा की कार्यपूर्ति व मुरम्मत हेतुः– यह सम्पर्क सड़क पूर्ण लबाणा समुदाय को जोड़ती है व गावं के बीचों बीच है परन्तु अभी अधूरी है। अतः इसकी कार्यपूर्ति व मुरम्मत हेतु ग्राम पंचायत समोह को उचित राशि स्वीकृत की जाए ताकि कार्यपूर्ण किया जा सके।

(अनिल कुमार गांव –समोह , त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

इस मद के संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी, झण्डुता से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस सम्पर्क सड़क में आने वाली भूमि लोगों की निजि भूमि है। यदि लोगों द्वारा भूमि विभाग के नाम करवा दी जाए तो इस मामला में आगामी कार्यवाही की जाएगी।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

66. सम्पर्क सड़क गला चौक से अप्पर टान्डा को बनाने बारेः–यह सड़क अप्पर टान्डा के लबाणा समुदाय को लाभान्वित करेगी, अतः इसे बनवाया जाए।

(अनिल कुमार गांव –समोह ,त0–झण्डुता ,जिला –बिलासपुर)

इस मद के संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी, झण्डुता से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस सम्पर्क सड़क में आने वाली भूमि लोगों की निजि भूमि है। यदि लोगों द्वारा भूमि विभाग के नाम करवा दी जाए तो इस मामला में आगामी कार्यवाही की जाएगी।

माननीय गैर सरकारी सदस्य के अनुपस्थित होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त हमीरपुर से सम्बन्धित मदें

67. **लबाणा समुदाय के गांवों के शमशानघाटों के पास वर्षा–शालिकाओं का निर्माण करने बारे।**

लबाणा समुदाय के गांव बडियाणा , नैली , बडैहर, नगरोटा गाजियां (त0 भोरन्ज जिला हमीरपुर) के शमशानघाटों के पास एक–एक वर्षाशालिका निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

68. **शमशानघाट पर लोगों को शव के दाह संस्कार के समय वर्षा में मुश्किल होती है, अस्तू धोने के लिए पानी की समस्या रहती है। अतः अनुरोध है कि वहां पर पानी की समस्या दूर करने के लिए एक कुआं बनवाया जाये तथा लोगों को बैठने के लिए एक rain shelter type hall बनवाया जाये।**

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज ,जिला –हमीरपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर द्वारा सूचित किया गया कि लबाणा समुदाय के गांव बडियाणा, नैली , बडैहर, नगरोटा गाजियां (त0 भोरन्ज जिला हमीरपुर) के शमशानघाटों के पास एक–एक वर्षाशालिकाऐं स्वीकृत कर दी गई है। जहां तक शमशानघाट पर लोगों को पानी की समस्या रहती है तो इस संदर्भ में आई0पी0एच0 विभाग से मामला उठाया जाएगा तथा पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

69. **हमीरपुर जिला के लबाणा समुदाय के बडियाणा,नेली,नगरोटा,बडैहर गांव है उनके लिए किसी केन्द्र स्थान पर एक सांझा लबाणा सामुदायिक भवन बनाया जाये जंहा पर सब इक्टठा होकर अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सके।**

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज , जिला –हमीरपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर द्वारा सूचित किया गया कि लबाणा समुदाय के किसी केन्द्र स्थान पर एक सांझा लबाणा सामुदायिक भवन बनाने बारे जैसे कि पिछली मदों पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, इस संदर्भ में जैसा भी नितिगत निर्णय होगा तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें

70. **लबाणा समुदाय के गांवों के शमशानघाटों के पास वर्षा–शालिकाओं का निर्माण करने बारे।**

लबाणा समुदाय के गांव मुटकवाण , हरियाली टाण्डा (त0 सरकाघाट जिला मण्डी) के शमशानघाटों के पास एक–एक वर्षाशालिका निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री देव राज, भोरन्ज, जिला हमीरपुर)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि लबाणा समुदाय के गांव मुटकवाण, हरियाली टाण्डा(त0 सरकाघाट जिला मण्डी) के शमशानघाटों के पास एक–एक वर्षा–शालिका निर्माण हेतु 1.25 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

71. **ग्राम पंचायत गलमा में लबाणा समुदाय हेतु एक जंजघर निर्माणाधीन है, उसके लिए पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग उठाई थी व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। कृपया इस कार्य हेतु मु0 रू05,00.000 (पांच लाख) की राशि स्वीकृत करवाई जाए। वस्तुस्थिति का पूर्ण विवरण भी दे की इस सम्बन्ध में आगामी क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।**

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि इस बारे **अनुवर्ती मद संख्या–23** पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है तथा तदानुसार ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। **अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

72. **आंगनबाड़ी केन्द्र, टाण्डा से लबाणा बस्ती टाण्डा लेसर सिहं लेफ्टिनेंट के घर तक सड़क का निर्माण करने के लिए तीन लाख रूपये की राशि का प्रावधान करने की कृपा करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके।**

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र, टाण्डा से लबाणा बस्ती टाण्डा लेसर सिहं लेफ्टिनेंट के घर तक सड़क का निर्माण करने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जल्दी ही कार्य कर दिया जाएगा। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

73. **बारहवीं बैठक में शेरसिंह के घर के पास ढंगें के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो धनराशि स्वीकृत की थी वो क्यों नहीं हो पाई?**

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि शेरसिंह जी के घर के पास ढंगें लगाने के लिए फील्ड रिपोर्ट व Estimates मांग लिए गए है। जल्दी ही कार्य कर दिया जाएगा। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

74. खोलीनाला जोकि सभी समुदाय के लोगों का शमशान घाट है। बारहवीं बैठक की कार्य सूची में में मेरे द्वारा ही लकड़ियाँ रखने के लिए एक कमरा बनाने के लिए आग्रह किया था आज तक इसमें कोई भी कार्य शुरू नही हुआ है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि खोलीनाला में शमशान घाट के पास लकड़िया रखने के लिए एक कमरा बनाने हेतु धनराशि स्वीकृत कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

75. महिलाओं के लिए टाण्डा बावड़ी के पास एक स्नानघर बनाने के लिए आग्रह किया था। यह आग्रह इसलिए किया था क्योंकि यहां पर सभी समुदाय के लोग वास करते हैं। सुख–दुख की घड़ी में महिलाओं के स्नान के लिए स्नानघर बनना बहुत जरूरी है, यह बात किसी से छुपी नहीं है, सारा समाज इसका गवाह है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि महिलाओं के लिए टाण्डा बावड़ी के पास एक स्नानघर बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

76. शमशानघाट जो कि सभी समुदाय के लोगों का है जिसको खोली नामक स्थान से जाना जाता है। वहां के लिए कम से कम तीन स्ट्रीट लाईटस लगना जरूरी है इस शमशानघाट के साथ एक बहुत बड़ा नाला है उसके साथ ही श्री भगत राम नायक के खेत है वहां पर डंगा लगना आवश्यक है। इसके लिए 2,00,000 रू.की धनराशि स्वीकृत होनी चाहिए।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि खोली नामक स्थान पर शमशानघाट में डी0सी0पी0 मद से दो स्ट्रीट लाईटस् स्वीकृत कर दी गई है। कार्य प्रगति पर है। जहां तक श्री भगत राम नायक के खेत में डंगा लगाने का प्रश्न है तो यह कार्य मनरेगा के अंतर्गत किया जा सकता है। अतः मामला सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

77. शमशानघाट डोलंगी जो कि बहुत से लोगों का शमशानघाट है वहां के लोगों की सुविधा के लिए वर्षा आश्रयालय तथा साथ में जो लकड़ियां बच जाती है उनके लिए भी एक कमरा बनना जरूरी है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

इस मद पर बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्त मण्डी द्वारा सूचित किया गया कि शमशानघाट डोलंगी के लिए वर्षा आश्रयालय तथा लकड़ियों के लिए कमरा बनने के लिए भूमि की उपलब्धता बारे रिपोर्ट मांगी

गई है। जैसे ही भूमि की उपलब्धता से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त होगी तदानुसार मामले में आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

<u>उपायुक्त कांगड़ा से सम्बन्धित मदें</u>

78. **निर्माण विश्रामशाला शमशानघाट धोरन स्थित लुधरां में शैड का निर्माण करना। दो गांव के लोग इस स्थान का इस्तेमाल करते हैं। बरसात के दिनों व गर्मियों में इस स्थान पर बैठने की बड़ी दिक्कत हेाती है इस शैड के निर्माण के लिए लगभग 2,50,000/– दो लाख <u>पचास हजार रूपये की राशि जिलाधीश कांगडा के माध्यम से स्वीकृत की जाए।</u>**

<u>(सुशील कुमार ,गांव –धोरन ,तह0–पालमपुर ,जिला – कांगडा)</u>

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया कि धोरन स्थित लुधरां में शमशानघाट में विश्रामशाला/शैड के निर्माण हेतु प्राक्कलन, राजस्व कागजात तथा फिज़ीबिलिटी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी भवारना से मगंवाऐ गऐ हैं। रिपोर्ट प्राप्त हाने पर तदानुसार ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

79. **जीप योग्य रोड़ एन0एच0–20 नसीब सिंह मिस्त्री के घर से अशोक कुमार नायक के घर तक के निर्माण के लिए धन राशि स्वीकृत करना इस रोड़ के निर्माण से 15–20 परिवारों <u>को आंगन तक सुविधा मिल जाएगी।</u>**

<u>(सुशील कुमार, गांव –धोरन , तह0–पालमपुर , जिला – कांगडा)</u>

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया कि जीप योग्य रोड़ एन0 एच0–20 नसीब सिंह मिस्त्री के घर से अशोक कुमार नायक के घर तक के निर्माण हेतु प्राक्कलन, राजस्व कागजात तथा फिज़ीबिलिटी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी भवारना से मगंवाऐ गऐ हैं। रिपोर्ट प्राप्त हाने पर तदानुसार ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

80. **भगत राम ब्राहमण के रास्ते के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 3 लाख रूपये है इसका <u>कार्य करवाया जाऐ।</u>**

<u>(जसवन्त सिंह ब्राहमण, गांव– टांडा ,डा0–राजपुर ,तह0–पालमपुर ,जिला – कांगडा)</u>

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया कि भगत राम ब्राहमण के रास्ते के निर्माण हेतु प्राक्कलन, राजस्व कागजात तथा फिज़ीबिलिटी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी पंचरूखी से मगंवाऐ गऐ हैं। रिपोर्ट प्राप्त हाने पर तदानुसार ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

81. टाण्डा पंचायत में लबाणा गुज्जर बस्ती से शमशानघाट तक पक्का रास्ता बनाने बारे।

(डा0 एस0एस0 भाटिया ,गांव –टाण्डा,डा0 –राजपुर,तह0–पालमपुर, जिला–कांगड़ा)

मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त कांगड़ा द्वारा सूचित किया गया कि टाण्ड़ा पंचायत में लबाणा गुज्जर बस्ती से शमशानघाट तक पक्का रास्ता बनवाने हेतु प्राक्कलन, राजस्व कागजात तथा फिज़ीबिलिटी रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी पंचरूखी से मगंवाऐ गऐ हैं। रिपोर्ट प्राप्त हाने पर तदानुसार ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मदें

82. ग्राम पंचायत ट्रोह त0 बल्ह जिला–मण्डी में पशुपालन की डिस्पैंसरी पिछले 15–20 वर्षो से पंचायत घर में चल रही है। पशुपालन विभाग भवन निर्माण क्यों नहीं करवा रहा हैं। इस पंचायत के ट्रेाह मुहाल में लगभग 100 बीघा जमीन नौ तोड़ है, इससे भूमि स्वीकृत करके भवन निर्माण करवाया जाए।

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि पशु औषधालय मुन्दड्डु ग्राम पंचायत ट्रोह द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में चलाया जा रहा है, जिसमें विभाग को कोई समस्या नहीं है तथा यह पशु औषधालय पिछले 15 वर्षो से पंचायत घर में ही चल रहा है। विभाग के नाम आज तक भूमि उपलब्ध नहीं हुई है, जिस कारण भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ट्रोह में जो सरकारी भूमि नौ तोड़ है वह वन संरक्षण अधिनियम –1980 के अन्तर्गत आती है। जिसके लिए मामला स्वीकृति हेतु वन विभाग को भेजना होगा।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा **उपायुक्त मण्डी** को निर्देश दिए गए कि वे अतिक्रमण हटाने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाएं तथा नया पंचायत भवन अथवा पशु औषधालय हेतु जमीन उपलब्ध करवाऐं तदानुसार सम्बन्धित विभाग मामले मे आगामी कार्यवाही अमल में लाकर समस्या का समाधान करें। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

83. ग्राम पंचायत सोथरा में पशु औषधालय पिछले तीन वर्षो से खुला है उसके भवन निर्माण के लिए हमारे पास सरकारी भूमि है जिसके लिए भी 5,00,000 रू. की धनराशि स्वीकृत होनी चाहिए ।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन) हि0 प्र0 सरकार द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत सोथरा में पशु औषधालय मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया है तथा

इस योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवाए गये भवन में ही पशु औषधालय चलाया जा सकता है।

मद पर चर्चा के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) द्वारा सूचित किया गया कि जैसे पिछली मदों में भी चर्चा की जा चुकी है उनके पास 2,60,000/– पंचायत भवनों के अपवर्धन/मुरम्मत हेतु उपलब्ध है तथा उनकी **उपायुक्त मण्डी** से भी इस संदर्भ में बात हो गई है, यदि वे चाहें तो इस धनराशि से तीन कमरों के पंचायत भवन की मुरम्मत का कार्य/नया भवन तथा पशु औषधालय के कमरे की मुरम्मत करवा सकते है। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त मण्डी को निर्देश दिए गए कि वे इस संदर्भ मे नया पंचायत भवन अथवा पंचायत भवन की रिपेयर बारे चर्चानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाएं ताकि समस्या का समाधान हो सके। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

आयुर्वेदा विभाग से सम्बन्धित मदें

84. गांव कोट टाण्डा में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त कमरों के निर्माण करवाने बारे।

गांव कोट में एक आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र है। स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त तीन कमरे (उपरी मंजिल) निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि आयुर्वेद विभाग से प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डाकोट जिला बिलासपुर में दो कमरे, एक बरामदा और शौचालय बना हुआ है। विभाग में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नक्शा (standard design) जिसमें एक चिकित्सक कक्ष, एक फार्मासिस्ट/औषधालय कक्ष, एक भण्डार , लघु शल्य कक्ष, प्रतीक्षालय हाल व दो शौचालय तय किए गए हैं। ऊपरी मंजिल में केवल उप–मण्डलीय आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का निर्माण किया जा सकता है। अतः आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डाकोट के ऊपरी मंजिल में तीन कमरों का निर्माण करना उचित नहीं होगा। वर्तमान में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डाकोट में मानकोंनुसार स्टॉफ नियुक्त है, आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी–1, फार्मासिस्ट–1, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–1 व ए.एन.एम.–1 कार्यरत है और उनके कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान है। आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डाकोट को स्तरोन्नत करने की कोई प्रस्तावना/प्रस्ताव आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मद पर चर्चा के दौरान निदेशक, आयुर्वेद विभाग द्वारा सूचित किया गया कि माननीय गैर–सरकारी सदस्य कि जो मूल प्रश्न में मांग स्वास्थ्य केन्द्र में अतिरिक्त तीन कमरे निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने बारे थी उसका विस्तृत उत्तर उपलब्ध करवा दिया गया है। जहां तक आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र की रिपेयर का प्रश्न है तो यह कार्य किया जा सकता है जिसके लिए विभाग जिला आयुर्वेद अधिकारी, बिलासपुर से Estimates मंगवा कर आगामी कार्यवाही अमल में लाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग से सम्बन्धित मदें

85. गांव की जमीन के साथ एक बरसाती नाला बहता है जो बरसात के दिनों में काफी कटाव करता है और जमीन का काफी नुकसान होता है। अतः निवेदन है कि जमीन के किनारे क्रेट बगैरा लगाये जायें ताकि जमीन का कटाव बन्द हो।

(प्रकाश चन्द, गां0 –टांडा मस्सल, तह0 नगरोटा बगवां,जिला–कांगडा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया गया कि जहां भू–स्खलन हुआ है, इस नाले का नाम नाग नाला है व इसकी लम्बाई 2 कि0मी0 के लगभग है जिसमें से 800 मीटर में लोगों की निजी जमीनें है व शेष 1200 मीटर के लगभग नाला वन भूमि से होकर गुजरता है जिसमें भू–संरक्षण हेतु लगभग 80 चैक डैम/ डंगें के निर्माण हेतु अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 15 लाख रू0 व्यय होने का अनुमान है। उक्त कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कर दिया जाएगा। जहां निजी भूमि क्रैट बगैरा लगवाने का प्रश्न है यह कार्य कृषि विभाग या भू–संरक्षण विभाग द्वारा ही करवाये जा सकते हैं।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

86. गांव की घासनी तकरीबन 1760 कनाल है उस जमीन पर गांव वालों का तीन महीने का कब्जा होता है बाकि साल के नौ महीने वन विभाग का कब्जा होता है। उस घास वाली जमीन पर पेड़ पौधे और झाड़ियां बगैरा तैयार हो गई है जिस के कारण घास लगभग खत्म हो जाता है। अतः हमारी घास वाली जमीन को साफ कराया जाये ताकि आने वाले समय में हम लोग वहाँ से घास प्राप्त कर सके।

(प्रकाश चन्द, गां0 –टाण्डा मस्सल, तह0 नगरोटा बगवां,जिला–कांगडा)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया गया कि 1760 कनाल भूमि में से 1144 कनाल भूमि की किस्म जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा कब्जा वन विभाग का है शेष 616 कनाल भूमि चरागाह दरख्तान सरकार हिमाचल प्रदेश गैर मुमकिन नाला है। जंगल का नाम UP 208 – K,Tanda Massal C-1 व C-2 है। इस वित्तीय वर्ष में दस हैक्टेयर क्षेत्र में फुलनु उन्मुलन का कार्य चला हुआ है। बाकी शेष बचे क्षेत्र में चरणबद्व तरीके से फूलनु उन्मुलन का कार्य आगामी वित्तीय वर्षो में कर दिया जाएगा। यहां यह बताना भी उचित होगा कि ऐसी कोई सरकारी भूमि नही है जिस पर वर्ष में 3 महीने निजी लोगों का कब्जा होता है व बाकी 9 महीने वन विभाग का। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

87. **रिवालसर से लेकर रती तक जंगलात विभाग की लगभग 1000 बीघा भूमि पर जंगल लगे हैं। इस क्षेत्र में कोई वन विभाग का विश्राम गृह नहीं है। कृपया भूमि चिन्हित करके कहीं पर विश्राम गृह बनवाया जाए।**

(दिनेश नायक ,गा0 व डा0–ट्रोह, तह0–बल्ह ,जिला –मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया गया कि जहां तक रिवालसर से रत्ती के बीच वन विश्राम गृह बनाने का प्रश्न है, रिवालसर में पहले से ही वन विश्राम गृह स्थित है, जिसमें तीन कमरे है। रिवालसर से रत्ती तक की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है जो कि हि0प्र0 सरकार की नीति के अनुसार 20 कि0 मी0 से कम पड़ती है। इसके अतिरिक्त रत्ती से 14 कि0मी0 की दूरी पर मण्डी में चार कमरों वाला विश्राम गृह स्थित है। अतः ऐसे में वन विश्राम गृह की स्थापना सरकार के नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

88. **पहले महेसदा जंगल में टाण्डा के सभी वासी टी0 डी0 के लिए बर्तन–दार थे परन्तु जब लबाणा समुदाय के लोग टी0डी0 के संदर्भ में मुख्य अरण्यपाल मण्डी से मिले तो उन्होंने बताया कि टाण्डा गांव का आधा हिस्सा इससे काट दिया गया है। बड़ी बिडंबना के साथ लिखना पड़ रहा है कि इसके आधे हिस्से को क्यों काटा गया इसका हम विभाग से अविलम्ब जवाब चाहते है। विभाग इसका स्पष्टीकरण देने कि कृपा करें।**

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0–बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया गया कि डी0पी0एफ0 मसैहड़ा हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 6–3/70 एस0एफ0 पार्ट–।। दिनांक 15.10.1978 के अन्तर्गत डी0पी0एफ0 घोषित हुआ है। अधिसूचना के अनुसार टाण्डा मुहाल डी0पी0एफ0 मसैहडा टी0पी0एफ0 मसैहड़ा टी0डी0 को बर्तनदारी के लिए हकदार है व जहां तक टाण्डा के आधे हिस्से को काटने व टी0डी0 न देने का प्रश्न है, यहां ये बताना उचित होगा कि ऐसा कोई मामला विभाग के ध्यान में नही आया है, फिर भी इस बारे अरण्यपाल मण्डी को मामला राजस्व विभाग से उठाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई ऐसा मामला है तो विभाग के ध्यान में लाऐं अथवा उपायुक्त मण्डी के ध्यान में लाऐं। इस संदर्भ में पुनः आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए जाऐंगें।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

युवा सेवाऐं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित मदें

89. **लबाणा समुदाय के बच्चों को खेलने के लिये एक खेल का मैदान बनवाया जाये ताकि इस समुदाय के लोगों के बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। इसके लिये ग्राम बडियाणा में करीब 6–7 कनाल शामलात भूमि खाली पड़ी है।**

(श्री देवराज , गांव –बडियाणा ,डा0–लगमन्वी ,त0–भोंरज ,जिला –हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि युवा सेवा एवं खेल, हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी, हमीरपुर को उक्त प्राप्त मद के सन्दर्भ में निर्देश दिए गऐ हैं कि गांव बडियाणा में जो खेल मैदान बनाया जाना है, हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करें की क्या वहां खेल मैदान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि है या नहीं, यदि हां तो भूमि का ततीमा पर्चा, जमाबन्दी तथा खेल मैदान के निर्माण हेतु आकल्लन व प्राक्कलन सहित पूर्ण प्रस्ताव विभाग को एक सप्ताह के भीतर फैक्स या ई–मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ताकि इस सन्दर्भ में आगामी कार्यवाही की जा सके। इस संदर्भ में विभाग नवीनतम् स्थिति की सूचना बैठक में प्रस्तुत करेगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सचिव (युवा सेवा एवं खेल), हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया गया। यहां पर एक प्राइमरी स्कूल पहले से है। उनकी उपायुक्त हमीरपुर से बात हो गई है, वे इस मैदान के लिए 2,00,000/– रूपये स्वीकृत कर देंगें।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें

90. गावं बल्ही लबाणा में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने बारे ।

गांव बल्ही लबाणा में आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है । गांव में लबाणा समुदाय के 85 परिवार हैं । गांव के छोटे बच्चों को गांव से दूर एक कि0 मी0 आंगनवाड़ी केन्द्र में जाना पड़ता है। गांव बल्ही के दोनों तरफ पानी के नाले हैं। इस कारण छोटे बच्चों को दूसरे गांव मे स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र में आने जाने में समस्या आती है। अतः गांव बल्ही तहसील घुमारवी में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाए।

(श्री हेम राज,घुमारवीं,जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि बाल विकास परियोजना, घुमारवीं के अंतर्गत बल्ही लबाणा इस समय आंगनवाड़ी केन्द्र कोट–2 से लाभान्वित हो रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्र कोट–2 की कुल जनसंख्या 442 है जिसमें से स्थाई जनसंख्या 392 है तथा अस्थाई जनसंख्या 50 है। बल्ही लबाणा गांव की जनसंख्या 180 है तथा इस गांव में अलग आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने से आंगनवाड़ी केन्द्र कोट–2 की स्थाई जनसंख्या 212 रह जाएगी व वहां पर आंगनवाड़ी केन्द्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु आबादी की शर्त पूर्ण नहीं होगी। उपरोक्त के दृष्टिगत व बाल विकास परियोजना अधिकारी, घुमारवीं से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बल्ही लबाणा गांव में अलग से आंगनवाड़ी केन्द्र व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

91. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिनकी अंपगता 75 प्रतिशत है को सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षो से साधारण सामाजिक पैंशन की अपेक्षा अधिक मिलती है का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस मुददे का समाधान अतिशीघ्र किया जाना चाहिए यह मुददा पीताम्बर लाल सुपुत्र स्वर्गीय श्री खजाना राम जिसका खाता संख्या 2989(3148) तहसील कल्याण अधिकारी मण्डी का है।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0—बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

सरकार द्वारा 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन बिना किसी आय सीमा के प्रदान की जा रही है। 01 अप्रैल, 2014 से सरकार द्वारा 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम व्यक्तियों की पैंशन की दरों में अन्य श्रेणियों की पैंशन दरों के मुकाबले में अधिक बढ़ौतरी की गई है जबकि इससे पूर्व यह पैंशन सभी पैंशन श्रेणियों के लिये एक समान दर से दी जाती थी। वर्तमान में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम व्यक्तियों को 1100/— रूपये प्रतिमाह की दर से अपंग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

जिला कल्याण अधिकारी, मण्डी से प्राप्त सूचनानुसार मद में दर्शाए गये पिताम्बर लाल सुपुत्र श्री खजाना राम की विकलांगता 70 प्रतिशत या इससे अधिक होने बारे सम्बंधित तहसील कल्याण अधिकारी को उसे अनुप्रमाणित करने बारे निर्देश जारी कर दिये गये हैं जैसे ही उनसे चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होती है तो सॉफ्टवेयर में उसका इन्द्राज करके वर्तमान निर्धारित पैंशन की दरों के अनुरूप पैंशन भुगतान हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

निदेशक, अनु0 जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले द्वारा बैठक में सूचित किया गया कि जिला कल्याण अधिकारी मण्डी से प्राप्त नवीनतम् सूचनानुसार पिताम्बर लाल सुपुत्र श्री खजाना राम के पक्ष में बढ़ी दर से अपंग राहत भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है। शीघ्र ही पैंशन की राशि जारी कर दी जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

92. टाण्डा में मिनी आंगनबाडी खुलना चाहिए।

(शेरसिंह नायक, गांव टाण्डा, डा0—बाल्ट, तह0 सदर, जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हि0 प्र0 सरकार द्वारा सूचित किया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, मण्डी सदर जिला मण्डी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सोयरा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र टाण्डा संचालित किया जा रहा है तथा उक्त स्थान (टाण्डा) में अलग से अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अन्त में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सभी उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया गया।

******

अनुबन्ध–क

दिनांक 11 फरवरी, 2016 को सांयः 3:00 बजे माननीय मुख्यमन्त्री हि0 प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश लुबाणा कल्याण बोर्ड की तेरहवीं बैठक में सरकारी /गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूचीः–

क्र0 स0	सरकारी सदस्य	क्र0 स0	गैर सरकारी सदस्य
1.	श्री पी0 मित्रा, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।	1.	श्री गोविन्द राम नाईक, जिला मण्डी
2.	श्री अजय मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हि0 प्र0 सरकार।	2.	श्री चमन लाल, जिला मण्डी
3.	श्री विनीत चौधरी,अतिरिक्त मुख्य सचिव,(स्वास्थय), हि0 प्र0 सरकार।	3.	श्री हरी सिंह, जिला सिरमौर
4.	श्रीमती उपमा चौधरी,अतिरिक्त मुख्य सचिव(शहरी विकास, पशुपालन), हि0 प्र0 सरकार।	4.	श्री कुन्दन सिंह जिला सिरमौर
5.	श्री तरूण श्रीधर अति0 मुख्य सचिव (राजस्व एंव वन) हि0 प्र0 सरकार।	5.	श्री हुक्म सिंह, जिला सिरमौर
6.	श्री वी,सी, फारका अतिरिक्त मुख्य सचिव (युवा सेवा एंव खेल व पर्याटन)–एंव–अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्य मंत्री) हि0 प्र0 सरकार।	6.	श्री सुरिन्द्र सिंह, जिला सोलन
7.	श्री पी0 सी0 धीमान, अति मुख्य सचिव (शिक्षा एवं सिंचाइ एंव जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार	7.	श्री गुलजारी लाल, जिला मण्डी
8.	डा0 श्रीकान्त बाल्दी, अति0 मुख्य सचिव (वित्त), हि0 प्र0 सरकार।	8.	श्री शेर सिह नाइक, जिला मण्डी
9.	श्री संजीव गुप्ता अति मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार।	9.	श्री चमेल सिंह, जिला सिरमौर
10.	श्री संजय गुप्ता, प्रधान सचिव, (आर्युवेदा–तकनिकी शिक्षा)	10.	श्री योगिन्द्र योगी ,जिला सिरमौर
11.	श्री एस0 पी0 वासुदेवा, प्रधान प्रमुख अरण्यपाल(वन) हि0 प्र0	11.	श्री रोनकी राम,जिला सिरमौर
12.	डा0 संदीप भटनागर, निदेशक, अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले हि0 प्र0 तथा निदेशक, आर्युवेदा, हि0 प्र0।	12.	श्री अमर सिंह, जिला कांगडा
13.	श्री औंकार शर्मा, सचिव (युवा सेवा एवं खेल)एवं (ग्रामीण पंचायती राज) हि0 प्र0।	13.	श्री मदन लाल , जिला सोलन
14.	श्री अशोक तिवारी, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम	14.	श्री संजीव कुमार(संजु), जिला सोलन
15.	श्री पी0सी0 नेगी,प्रबन्ध निदेशक(राज्य विधुत निगम)हि0 प्र0	15.	श्री जसमेर सिंह,जिला सिरमौर
16.	श्री सन्दीप कदम,उपायुक्त ,मण्डी	16.	श्री मदन लाल,जिला सोलन
17.	श्रीमती एम0सुधादेवी,उपायुक्त,चम्बा	17.	श्री गुरमेल सिंह, बिलासपुर
18.	श्री बी0सी0 बडालियॉं,उपायुक्त, सिरमौर	18.	श्री पृथी चन्द, जिला मण्डी
19.	श्री रितेश चौहान,उपायुक्त,कांगड़ा	19.	श्री श्रवण कुमार, जिला मण्डी
20.	श्री महेश पठानियॉं,निजी सचिव(मुख्यमंत्री)हि0प्र0	20.	श्री यशपान सिंह, जिला सिरमौर
21.	श्री जी0 सी0 नेगी,अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,शिमला	21.	श्री सिहन राम,ग्राम बल्ह
22.	श्री सतपाल धीमान,उप सचिव(वन),हि0प्र0	22.	श्री दिनेश नाईक, जिला मंडी
23.	श्री भगत सिंह, (ए0आइ0जी0टी0टी0आर0)	23.	श्री बहादुर सिंह,जिला मण्डी
24.	श्री आर0के0 कंवर,मुख्य अभियन्ता,सिचांई एवं जन स्वास्थ्य	24.	श्री प्यारा सिंह, जिला कांगडा
25.	ई0 विजय डोगरा,मुख्य अभियन्ता, राज्य विधुत निगम, हि0 प्र0	25.	श्री गुरीया राम नायक, जिला मण्डी
26.	श्री राजेश कुमार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,उना	26.	श्री रामलाल नायक,मण्डी
27.	श्री चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर	27.	श्रीमति नर्बदा अभिलाशी,जिला मण्डी
28.	श्री रूपाली ठाकुर, अतिरिक्त जिलाधीश, हमीरपुर	28.	श्री प्रकाशचन्द, जिला बिलासपुर
29.	श्री एस0पी0 मेहता, उपनिदेशक, मत्सय पालन,हमीरपुर	29.	श्री जसवंत सिंह, जिला कांगड़ा
30.	डा0 शेखर मेसी, निदेशक, पशुपालन विभाग,हि0प्र0	30.	श्री रोशन लाल, जिला कांगड़ा
31.	श्री पंकज शर्मा, सहायक आयुक्त(उपायुक्त) ,किन्नौर	31.	श्री सुशील कुमार, जिला कांगड़ा
32.	श्री सन्दीप नेगी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,सोलन	32.	श्री विजय कुमार,जिला कांगड़ा
33.	श्री आर0के0 जरीया,मुख्य अभियन्ता, सिचांई एवं जन स्वास्थ्य	33.	श्री अनील कुमार , जिला बिलासपुर
34.	डा0 डी0 एस0 गुरंग, निदेशक, (स्वास्थ्य)	34.	श्री हेमराज , जिला बिलासपुर
35.	श्रीमति सुमन रावत, निदेशक, (युवा सेवा एवं खेल)	35.	श्री रणजीत सिंह ,जिला बिलासपुर
36.	श्री चतर सिंह, अधिक्षण अभियन्ता, सिचांई एवं जन स्वास्थ्य, यु0एस0 कल्ब, शिमला	36.	श्री भजन लाल, जिला ऊना
37.	श्री रमेश गंगोतरा,उप–निदेशक,(खाद्य एवं आपूर्ति विभाग)	37.	श्री अशोक कुमार,जिला ऊना

38.	श्री सतीश ठाकुर, मेनेजर, हि0 पिछड़ा एव विकास निगम, कांगडा	38.	श्री शेर सिंह नायक, जिला मण्डी
39.	श्री दिनकर बुराथुकी, निदेशक ,(उच्च शिक्षा)	39.	श्री दोला राम, जिला मण्डी
40.	श्री रमेश चन्द, संयुक्त निदेशक , कृषि	40.	श्री राकेश कुमार, जिला मण्डी
41.	श्री जितेन्द्र सांजटा, अतिरिक्त निदेशक, (उधोग)	41.	श्री चमन नायक, जिला मण्डी
42.	श्री आशिश कोहली, अतिरिक्त निदेशक,(प्रा0 शिक्षा)	42.	श्री पवन कुमार, जिला ऊना
43.	श्री भानु प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,हीमुडा	43.	श्री सन्त राम , जिला कांगड़ा
44.	श्री जी0 डी0 काल्टा, प्रभारी (श्रम एव रोजगार)	44.	श्री रणजीत सिंह, जिला बिलासपुर
45.	श्री आर0के0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता,(लोक निर्माण विभाग)मण्डी	45.	श्री बलदेव राम,जिला सोलन
46.	**ई0**राकेश गुप्ता, मुख्य अभियन्ता,(लोक निर्माण विभाग)हि0 प्र0	46.	श्री ज्ञान चन्द , जिला कांगड़ा
47.	श्री आर0 पी0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता,(लोक निर्माण विभाग) हमीरपुर	47.	श्री प्यारेलाल, जिला बिलासपुर
48.	श्री डी0एस0 चौहान, मुख्य अभियन्ता,(लोक निर्माण विभाग) बिलासपुर	48.	श्री ख्याली राम ,जिला मण्डी
49.	श्री एस0 के0 गन्जू, मुख्य अभियन्ता,(लोक निर्माण विभाग) कांगड़ा	49.	श्री बाबुराम , जिला मण्डी
50.	श्री आर0एस0 गुलेरीया,उपनिदेशक(महिला एव बाल विकास)	50.	श्री मेहर सिंह, जिला ऊना
51.	श्री नरेश शर्मा ,अनुसधान अधिकारी, हिम ऊर्जा	51.	श्री सुरेश कोशल, जिला ऊना
52.	श्री घनश्याम चन्द, परियोजना अधिकारी, शिक्षा	52.	श्री करतार चन्द
53.	श्री सजय शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त(परिवहन)	53.	श्री दिनेश ठाकुर
54.	श्री रीखी राम, अवर सचिव, वित्त	54.	श्री मौजीराम
55.	श्री ए0के0 अहुजा, निदेशक(तकनिकी शिक्षा)	55.	श्री कमलेश चौहान
56.	श्री योगेश्वर दत्त, अधीक्षक–1	56.	श्री राजकुमार
57.	श्री पवन कुमार तौमर, अधीक्षक(सा0 एव न्याय अधि0 मन्त्री कार्यालय)	57.	श्री जादो सिंह

****